10 मार्च, 2014 को कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 61वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 61.1 : औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

14 सितंबर, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड में समान मामलों की जांच की तथा निम्नानुसार टिप्पणी की :

"अनुमोदन बोर्ड ने विकास आयुक्त को 5वें साल के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध की तभी सिफारिश करने की सलाह दी कि विकासक द्वारा परियोजना के प्रचालन के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं और वैधता अवधि पुन: बढ़ाया जाना उचित कारणों पर आधारित है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी टिप्पणी की कि नेमी मामले के रूप में वैधता अवधि बढ़ाई नहीं जा सकती है जब तक कि विकासक द्वारा जमीनी स्तर पर कुछ प्रगति नहीं की जाती है। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद पिछली बार बढ़ाई गई वैधता अवधि की समाप्ति की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल की अवधि के लिए 5वें साल के बाद तथा 6 माह की अवधि के लिए छठें वर्ष के बाद बढ़ाने के अनुरोधों को मंजूरी प्रदान की।"

(i) देवुनीपालावालसा गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 फरवरी 2009 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) परियोजना में अपेक्षित अवसंरचना सुविधाओं के सृजन के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(ii) एसईजेड में उनके अपने समूह की 2 यूनिटें स्थापित की गई हैं तथा अगले राजकोषीय वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) गांधीनगर - सरखेज हाइवे, गांधीनगर, गुजरात में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 7 जनवरी 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 6 जनवरी, 2014 तक वैध था।

अपने पत्र दिनांक 10 दिसंबर, 2013 के माध्यम से विकासक ने 6 जनवरी, 2014 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विभिन्न कारणों से अनुरोध किया है जैसे कि एसईजेड यूनिट लेने वालों की कम संख्या, मैट लगाया जाना तथा एसईजेड में आवंटित भूखंड के ऊपर से 11 केवी की पावर लाइन का गुजरना जिसकी वजह से यूनिटों ने उसे शिफ्ट करने का अनुरोध किया है तथा गुजरात सरकार के पास मामला लंबित है।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने चारदीवारी, सभी बुनियादी अवसंरचना जैसे कि आंतरिक सड़कों, स्ट्रीट लाइट, स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जल वितरण नेटवर्क, विद्युत आपूर्ति से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिटों के चार मामलों को मंजूरी प्रदान की है जिसमें आवेदकों को एलओए जारी किए गए हैं।

विकासक ने भूमि पर 24.66 करोड़ रुपए तथा अन्य अवसंरचना कार्य पर 16.49 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया है।

विकासक ने 6 जनवरी 2015 तक परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) अदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 6 जनवरी 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स काग्नीजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 7 जनवरी 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 6 जनवरी, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताय है कि उन्होंने अदिबाटला एसईजेड में कैंपस के निर्माण के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ टर्नकी आधार पर संविदा की है। उन्होंने प्रारंभिक निर्माण की गतिविधियां शुरू कर दी हैं तथा आगामी महीनों में निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। वर्ष 2012 के दौरान चारदीवारी का निर्माण पूरा किया गया तथा वर्ष 2012 के अंत में भूमि का पुन: अभिविन्यास किया गया तथा उन्हें आगामी महीनों में निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) दीमापुर, नागालैंड में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 11 अक्टूबर 2013 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागालैंड इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 12 अक्टूबर 2007 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 11 अक्टूबर, 2013 तक वैध था।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति :

(i)	औद्योगिक भूखंडों के लिए स्थल विकास	100 प्रतिशत
(ii)	चारदीवारी	100 प्रतिशत
(iii)	प्रशासनिक ब्लाक	100 प्रतिशत
(iv)	अतिथि गृह	100 प्रतिशत
(v)	विद्युतीकरण	80 प्रतिशत
(vi)	आंतरिक सड़कें	100 प्रतिशत
(vii)	वाटर पाइप	75 प्रतिशत
(viii)	जल शोधन संयंत्र, सीईटीपी, कोल्ड स्टोरेज का कार्य प्रगति पर है	
(ix)	आवासीय ब्लाक	100 प्रतिशत
(x)	कारखाना शेड तथा मानक डिजाइन कारखाना	100 प्रतिशत

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है क्योंकि यह नागालैंड सरकार द्वारा प्रमोट किया गया एसईजेड है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) 15/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 11 दिसंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स सेलेक्टो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 16 जून, 2006 के माध्यम से 3 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 3.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 11 दिसंबर, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने बताया है कि एसईजेड का मास्टर प्लान तथा जोनिंग प्लान यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। तथापि, ईडीसी / आईडीसी के भुगतान के लिए विकासक के मामले के लंबित होने के कारण डीटीसीपी, हरियाणा से जोनिंग प्लान की प्रमाणित प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्य नहीं है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(vi) हिंजेवाड़ी और मान, तालुका मूली, जिला पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 अगस्त, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स कुमार बिल्डर्स टाउनशिप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को चार विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 27 अगस्त, 2013 तक है।

वैश्विक मंदी के प्रभाव तथा कर व्यवथा में परिवर्तन के कारण विकासक ने बताया है कि आईटी / आईटीईएस तथा हार्डवेयर में स्थान के लिए मांग कम है तथा वे बैंकों से निधियां उपलब्ध न होने के कारण वित्तीय तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि में निवेश 3027.386 लाख रुपए (अधिसूचित क्षेत्र के लिए)
(ii) अवसंरचना के विकास पर निवेश 6014.41 लाख रुपए
(iii) चारदीवारी का निर्माण प्रगति पर है तथा लगभग 55 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है
(iv) 23000 वर्गफीट के क्षेत्रफल में इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है तथा लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
(v) भवन का निर्माण प्रगति पर है तथा लगभग 20 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है।
(vi) एक साल के अंदर एसईजेड क्रियाशील हो सकता है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) जुईनगर, जिला थाणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यूफाउंड प्रापर्टीज एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अगस्त, 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 20 अगस्त, 2012 तक है।

विकासक ने बताया है कि उन्होंने 3 भवनों के निर्माण का कार्य शुरू किया है तथा परियोजना के लिए किया गया वास्तविक व्यय 81.15 करोड़ रुपए के आसपास है। उन्होंने यह भी बताया है कि निम्नलिखित कारणों से परियोजना में विलंब हुआ है :

(i) भूखंड का अत्यधिक असमतल होना तथा भूखंड की पूर्वी दिशा में खनन की भारी गतिविधि।
(ii) भूमि प्राधिकरण (एमआईडीसी) तथा स्थानीय शासी निकाय (एनएमएमसी) द्वारा कुछ मामलों में सहयोग न किया जाना।
(iii) पिछले दो वर्षों में ग्रीन फील्ड परियोजना के लिए वैश्विक आर्थिक परिवेश अनुकूल नहीं रहा है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि पर 40.95 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है
(ii) 13.35 करोड़ रुपए की उधारी लागत का पूंजीकरण सहित अवसंरचना पर 40.45 करोड़ रुपए का निवेश

(iii) औपचारिक अनुमोदन की बढ़ाई गई अवधि से 15-18 माह की अवधि के अंदर एसईजेड क्रियाशील हो जाएगा।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 2 मई 2014 तक चौथे और पांचवें विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) दिघी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूज़ेड सहित पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 अक्टूबर 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 23 अक्टूबर 2006 को प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 अक्टूबर, 2012 तक थी।

विकासक ने एसईजेड स्थापित करने के लिए 69.12.94 हेक्टेयर की भूमि के लिए भूमि के न्यूनतम क्षेत्रफल की संशोधित आवश्यकता के अनुसार एसईजेड की अधिसूचना के लिए दस्तावेज प्रस्तुत किया है। विकासक का भूमि पर कब्जा है।

विकासक ने बताया है कि वैधता अवधि बढ़ाए जाने तथा अधिसूचना जारी हो जाने के बाद तीन तिमाही के अंदर वित्तीय बंदी प्राप्त कर ली जाएगी। परियोजना का समग्र कार्यान्वयन 24 माह के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।

विकासक ने बताया है कि दिघी पोर्ट महाराष्ट्र में पहला ग्रीन पोर्ट है जिसका एसईजेड / एफटीडब्ल्यू अभिन्न अंग है। दिघी पोर्ट परियोजना में 31 अक्टूबर 2013 तक सकल निवेश 2000 करोड़ रुपए के आसपास है। विकासक ने हाल ही में दिघी पोर्ट को क्रियाशील किया है तथा अब तक लगभग 4 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 27 अगस्त 2014 तक चौथे और पांचवें विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) हिंजेवाड़ी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स इंटरनेशनल बायोटेक पार्क लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 25 अक्टूबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 24 अक्टूबर, 2012 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने बताया है कि निम्नलिखित कारणों से विलंब हुआ है :

(i) वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद गंभीर वित्तीय संकट।

(ii) **वैश्विक एफएसआई तथा खुले आरजी क्षेत्रों के संबंध में एमआईडीसी नियमावली में भ्रम एवं अस्पष्टता।**

(iii) **प्रत्यक्ष कर संहिता के प्रावधानों को लेकर बाजार का नकारात्मक रवैया।**

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **भूमि पर 5.8 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है**

(ii) **अवसंरचना पर निवेश 1 करोड़ रुपए**

(iii) **उन्होंने परियोजना का विकास दो चरणों में करने का प्रस्ताव किया है।**

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने 24 अक्टूबर 2014 तक चौथे और पांचवें विस्तार के लिए अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) ग्राम बेहरामपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 नवंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स जीपी रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 14 नवंबर, 2006 के माध्यम से विकासक को उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक चार बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 नवंबर, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने हरियाणा सरकार से 2.5 वर्ष के विलंब के बाद सितंबर 2013 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **भूमि, भवन की डिजाइन, सांविधिक लेवी तथा साइट सुधार पर निवेश 175 करोड़ रुपए है।**

(ii) **मास्टर प्लान तथा जोनल प्लान अनुमोदित हो गए हैं।**

(iii) **बिल्डिंग प्लान अनुमोदित हो गया है।**

(iv) **दिसंबर 2014 तक निर्माण शुरू होगा**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) टीजेड-06, टेक जोन आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 अप्रैल, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक पांच बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 11 दिसंबर, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) भूमि, अवसंरचना एवं निर्माण पर निवेश 101.01 करोड़ रुपए
(ii) अवसंरचना का विकास अंतिम चरण पर है।
(iii) यूनिट अनुमोदन समिति ने एसईजेड में चार यूनिटों को मंजूरी प्रदान की है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने 10 दिसंबर, 2014 तक एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के मामले की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xii) आदित्यपुर, झारखंड में आटोमोबाइल्स / आटो कंपोनेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 13 दिसंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डवलपमेंट एथारिटी का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 14 जून, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 36.4218 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन वार्षिक तथा दो छमाही विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 13 दिसंबर, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने यह कहते हुए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 54.18 एकड़ की भूमि विमुक्त की जानी है और यह कि मंत्रालय में विमुक्तीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है जिसके बाद एसईजेड को स्थापित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने एक साल तक वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है क्योंकि यह झारखंड में एकमात्र अधिसूचित एसईजेड है तथा इसे झारखंड सरकार द्वारा प्रमोट किया जा रहा है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) काकीनाडा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद अगले 3 साल की अवधि के लिए पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 26 फरवरी, 2012 तक वैध थी।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि उनके विरुद्ध दाखिल किए गए अनेक कानूनी मामलों के कारण अधिसूचना जारी होने के बाद एसईजेड का विकास शुरू नहीं हो सका और यह कि इन याचिकाओं में से आखिरी याचिकाएं सितंबर 2012 में आंध्र प्रदेश के माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गई हैं। इसके अलावा अगली अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी राय / सिफारिश अक्टूबर 2013 में प्रस्तुत की। सूचित किया गया है कि उन्होंने परियोजना में अब तक 152.83 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा विकास की गतिविधियां शुरू की हैं और मास्टर प्लान को अनुमोदित कराया है, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की है, अवसंरचना तथा यूटिलिटीज के प्रावधान किए हैं, व्यवसाय योजना आदि के लिए विभिन्न अध्ययन कराए हैं।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने तीन साल की अगली अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) एडुर एलावुर गांव, तिरूवल्लूर जिला, तमिलनाडु में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 27 नवंबर, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स फ्रंटियर लाइफटाइम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 28 नवंबर 2008 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 27 नवंबर, 2013 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) अवसंरचना विकास कार्य - पूरा हो गया है
(ii) चारदीवारी - पूरा हो गया है
(iii) प्रशासनिक ब्लाकों (अनुसंधान ब्लाक, ट्रेनिंग ब्लाक, सीएसएसडी ब्लाक) - सिविल कार्य, विद्युतीकरण, वाटर पाइप लाइन, पेंटिंग के कार्य पूरे हो गए हैं।
(iv) कनवेंशन सेंटर (ऑडिटोरियम) - सिविल कार्य पूरा हो गया है
(v) हीटिंग वेंटिलेशन एयरकंडिशनिंग, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट / वाटर ट्रीटमेंट प्लांट - अधिष्ठापन के लिए गतिविधियां लंबित हैं।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तदनुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xv) कायालट्टू गांव, कुड्डालूर जिला, तमिलनाडु में फर्मास्युटिकल एवं पेट्रोलियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स नागार्जुन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को अनुमोदन का औपचारिक पत्र दिनांक 27 फरवरी 2009 जारी किया गया। एलओए की तीन साल की वैधता अवधि 27 फरवरी 2012 को समाप्त हो गई तथा विकासक से निर्धारित प्रपत्र में वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्राप्त होने के कारण वाणिज्य विभाग से निरस्त करने की सिफारिश की गई। वाणिज्य विभाग

के निदेशों के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा एसईजेड नियमावली में हाल के संशोधन दिनांक 12 अगस्त 2013 को ध्यान में रखते हुए विकासक को एसईजेड के अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया जा सकता है, तदनुसार विकासक को सलाह दी गई तथा विकासक ने अपनी एसईजेड परियोजना को पूरा करने के लिए सितंबर 2017 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

अपने आवेदन में विकासक ने यह भी बताया है कि प्रस्तावित एसईजेड क्षेत्र में अब तक कोई कार्य नहीं हुआ है और यह कि एसईजेड परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब का कारण यह है कि उनके रिफाइनरी प्लान के चालू होने में विलंब हुआ है (जो प्रस्तावित एसईजेड के क्षेत्र से बाहर है तथा जिस पर पेट्रो रसायन एवं पेट्रोलियम के लिए उनका प्रस्तावित एसईजेड इनपुट सामग्री की आपूर्ति के लिए निर्भर है)। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने 6500 करोड़ रुपए के निवेश से 2009 में अपनी रिफाइनरी परियोजना शुरू की थी तथा यह कि 2011 में थाणे चक्रवात से उनकी रिफाइनरी परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हुई जिसकी वजह से रिफाइनरी परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ और इसके परिणामस्वरूप एसईजेड परियोजना को स्थापित करने तथा समय सीमा का पालन करने में विलंब हुआ। विकासक ने यह भी बताया है कि उनका रिफाइनरी प्लान्न 60 प्रशित पूरा हो गया है तथा दिसंबर 2015 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है और दिसंबर 2017 तक अर्थात उनके रिफाइनरी प्लांट के चालू हो जाने / पूर्ण हो जाने के दो साल बाद एसईजेड परियोजना पूरी हो जाएगी।

विकास आयुक्त की सिफारिश

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एलओए दिनांक 27 फरवरी 2009 के जारी होने के बाद एसईजेड में कोई कार्य नहीं हुआ है तथा विकासक द्वारा इस बात का उल्लेख किए जाने के बाद कि एसईजेड परियोजना दिसंबर 2017 तक ही पूर्ण हो सकती है, जो एसईजेड में कोई विकास कार्य शुरू न होने को ध्यान में रखते हुए बहुत लंबी अवधि है, सिफारिश की जाती है कि एलओए को 27 फरवरी 2012 को कालातीत समझा जाए और यह कि विकासक को अपनी रिफाइनरी परियोजना के पूर्ण होने के बाद और जब वे अपनी एसईजेड परियोजना को लागू करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे, औपचारिक एलओए के लिए नए सिरे से आवेदन करने की सलाह दी जा सकती है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) 30 जून 2013 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने तथा विकासक का नाम बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीबीपीएल) जो महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध

विकास आयुक्त, सीएसईजेड के माध्यम से विकासक से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

(क) औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 26 अक्टूबर 2006 को प्रदान किया गया था। 10.42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता 30 जून, 2013 को समाप्त हो गई। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) 15.58 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

(ii) विकासक भूमि के इस हिस्से पर 100000 वर्गमीटर का विकास पूर्ण करने तथा एसईजेड (संशोधन) नियमावली 2013 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ होगा।

(iii) वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन प्राप्त होने पर विकासक अधिसूचित कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा तथा विकास की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कारण के रूप में यह बताया गया है कि मुकदमा के कारण तथा पक्षकारों जो भूमि का हस्तांतरण करने के लिए सहमत हुए थे, के साथ अन्य वाणिज्यिक मतभेदों के कारण भूमि के अधिग्रहण में विलंब हुआ।

विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ख) एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती के लिए प्रस्ताव

विकासक ने भूमि के मौजूदा क्षेत्रफल को 10.42 हेक्टेयर से घटाकर 6.31 हेक्टेयर करने का भी प्रस्ताव किया है।

8 नवंबर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में क्षेत्रफल में कटौती के प्रस्ताव पर फाइल पर विचार किया जाएगा।

(ग) विकासक का नाम बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) से बदलकर बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) करने के लिए प्रस्ताव

बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड तथा बैगमाने बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई कंपनी याचिका के आधार पर बीडीपीएल में बीडीपीएल के विलय की संस्वीकृति के लिए कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 6 नवंबर 2013 के जारी होने के फलस्वरूप बीडीपीएल ने एसईजेड के विकासक का नाम बीबीपीएल से बदलकर बीडीपीएल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि विलय के बाद विकासक बीडीपीएल के रूप में काम करेगा।

विकास आयुक्त, ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) एनएच 8, ग्राम कुकरोला एवं सेहरेवान, जिला गुड़गांव, हरियाणा में आईटी सेक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 23 अक्टूबर, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स डीएस रियाल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के माध्यम से विकासक को 56.65 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को अब तक दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 22 अक्टूबर, 2012 तक वैध थी। विकासक ने वैधता अवधि अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड द्वारा पहले यह प्रस्ताव 18 जनवरी 2013 को अनुमोदन बोर्ड की बैठक के समय अग्रेषित किया गया था। उस समय विकास आयुक्त, एनएसईजेड के कार्यालय ने नोट किया था कि अपने एलओए के 5 साल के बाद भी विकासक एसईजेड की अधिसूचना के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। इसके अलावा औपचारिक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव 10 अक्टूबर 2012 तक प्राप्त हुआ है, तथापि एलओए की शर्त संख्या 17 के अनुसार विकासक को वैधता अवधि समाप्त होने से 6 माह पहले एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध के साथ विकास आयुक्त, एनएसईजेड को प्रस्ताव वापस कर दिया गया :

(i) परियोजना की वर्तमान स्थिति
(ii) विलंब के कारण एवं औचित्य
(iii) क्या विकास आयुक्त, एनएसईजेड की नजर में प्रदान किया गया औचित्य पर्याप्त है तथा वे उससे सहमत हैं
(iv) स्पष्ट रोड मैप के साथ विकासक की भावी योजनाएं
(v) विकास आयुक्त की समग्र सिफारिशें

अब विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने यह सूचित करते हुए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को अग्रेषित किया था कि विकासक ने बताया है कि वे विभिन्न प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदनों के लिए पूरे मन से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए एनओसी के लिए आवेदन किया है तथा धन, समय एवं मानवीय प्रयास की दृष्टि से काफी संसाधनों का निवेश किया है। विकासक ने सूचित किया है कि उन्हें पता चला है कि उनकी भूमि जिस पर एसईजेड स्थापित किया जा रहा है, को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना द्वारा एचएसआईआईडीसी द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कया गया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि भूमि जारी करने के लिए मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इसलिए विकासक ने बताया है कि परियोजना के भावी विकास में कुछ विलंब होने की संभावना है।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विकासक द्वारा उठाए गए कदम :

(i) 140 एकड़ भूमि का प्रापण एवं उसका विकास
(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना
(iii) पर्यावरणीय स्वीकृति अध्ययन का पूरा होना, एसईएसी (राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति) और एसईआईएए (राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण) के समक्ष अनेक प्रस्तुतियां।
(iv) हरियाणा सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए व्यापक रिपोर्ट तैयार की गई है।
(v) पानी आदि के आहरण के लिए अनुमति के लिए आवेदन किया गया है।

विकासक ने परियोजना को पूरा करने के लिए 3 साल की समय सीमा का उल्लेख किया है। "अधिग्रहण के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में मामला का लंबित होना, अनुमोदन / स्वीकृतियां, पर्यावरणीय स्वीकृतियां आदि प्राप्त करना जटिल एवं समय साध्य प्रक्रिया है" को वैधता अवधि बढ़ाने के कारणों के रूप में वर्णित किया गया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकासक के प्रस्ताव के लिए सिफारिश जारी करने के अनुरोध से सहमति व्यक्त नहीं की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xviii) गौड़काशीपुर तथा एरिसल गांव, तहसील जतनी, जिला खुर्दा, उड़ीसा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 अप्रैल, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम (इडको) का अनुरोध

एलओए दिनांक 25 अक्टूबर, 2006 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 106.260 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक को 5 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 24 अप्रैल, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **चार लेन की संपर्क सड़क, 132 केवी के विद्युत उप केन्द्र तथा फीडर पारेषण लाइन का कार्य प्रगति पर है।**

(ii) **एसईजेड साइट पर जलापूर्ति के लिए प्रावधान उपलब्ध है।**

(iii) **एसईआईएए, ओडिशा से परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।**

(iv) **एसईजेड में सह विकासक तथा एंकर के रूप में इनफोसिस लिमिटेड को सहयोजित किया गया है। उनके विकास केन्द्र के लिए उनको एसईजेड में 50.919 एकड़ भूहि आवंटित की गई है। इनकी परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है।**

(v) **पार्क के लिए निवेशक आकर्षित करने के लिए सिलिकॉन वैली, कैलीफोर्निया, यूएसए में आयोजित किए जाने वाले रोड शो में भाग लेने की तैयारी चल रही है, इडको अधिसूचित एसईजेड के अंदर एक समर्पित आईटी / आईटीईएस इलेक्ट्रानिक्स पार्क स्थापित करने के लिए ताइवान के हिसंचू साइंस पार्क से हाथ मिलाने पर भी सक्रियता से विचार कर रहा है।**

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xix) छतरपुर, जिला गंजम, ओडिशा में खनिज आधारित उद्योगों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सराफ एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 105.1953 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक को दो विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 26 फरवरी, 2014 तक है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **3499 मीटर की चारदीवारी में से 30.80 मीटर का निर्माण पूरा हो गया है**

(ii) **निर्माण सहित विद्युत - विद्युत आपूर्ति के लिए 11 केवी के उप केन्द्र का निर्माण प्रगति पर है**

(iii) पानी - भारत सरकार से एनओसी प्राप्त कर लिया गया है

(iv) निर्माण जल - बोर वेल का निर्माण किया गया है

(v) उपकरणों की आपूर्ति - 58.50 लाख अमरीकी डालर का भुगतान किया गया है

(vi) सिविल कार्य - नींव तथा अन्य सिविल कार्य पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ एक साल की अवधि के लिए वैधता बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xx) ग्राम भुर्कामुंडा एवं भागकीपल्ली, तहसील एवं जिला झर्सूगुडा, उड़ीसा में एल्युमिनियम के निर्माण और निर्यात के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2014 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 23 मई, 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 22 मई, 2014 को समाप्त हो जाएगी।

विकासक ने एक और साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने परियोजना के उन्नत चरण तथा विकासक द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xxi) ग्राम पारिगी और सेरिकोकुम, पारिगी मंडल, सी कोडीजेपल्ली गांव, मडकसारा मंडल, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु सेवा एसईजेड स्थापित करने के लिए 4 फरवरी 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स बेनीफिसेंट नालेज पार्क्स एंड प्रापर्टीज लिमिटेड से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 4 फरवरी 2008 को प्रदान किया गया था। 366.455 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 23 अप्रैल, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 4 फरवरी, 2014 तक वैध था।

विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित ढंग से परियोजना को पूरा करने का प्रस्ताव किया है :

(क) बहु उत्पाद एसईजेड की दूसरी अधिसूचना : मार्च, 2014

(ख) बहु उत्पाद एसईजेड के रूप में सेक्टर में परिवर्तन : अप्रैल 2014

(ग) प्रसंस्करण एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्रों का सीमांकन : मई 2014

(घ) चारदीवारी : जून, 2013

(ङ) आईसीडी : जुलाई, 2014

(च) एफटीजेड का विकास : अगस्त 2014

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxii) त्रिक्काकारा, एर्नाकुलम जिला, केरल में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए 20 फरवरी 2014 के बाद एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स केरल इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किनफ्रा) से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 अगस्त 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के 5 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 20 फरवरी, 2014 तक वैध था।

विकासक ने सह विकासक के साथ वित्तीय समस्याओं की वजह से पहले चरण के भवन को पूरा करने में विलंब के कारण 19 अगस्त 2014 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि 10 करोड़ रुपए मूल्य के निम्नलिखित कार्य पूरे हो गए हैं :

(क) चारदीवारी पूरी हो गई है।
(ख) 110 केवी का सब स्टेशन सहित एसईजेड के लिए बाहरी विद्युत आपूर्ति का कार्य पूरा हो गया है।
(ग) जलापूर्ति वितरण प्रणाली के निर्माण का कार्य पूरा होने वाला है।
(घ) बाहरी सड़क का विकास पूरा हो गया है।
(ङ) सह विकासक ने पहले चरण के भवन (3 लाख वर्गफीट) का निर्माण शुरू किया है। पाइलिंग तथा दो बेसमेंट फ्लोर पूरे हो गए हैं। सह विकासक ने 680 लाख रुपए का निवेश किया है।
(च) साइट का विकास आंशिक रूप से पूरा हो गया है।
(छ) 30000 वर्गफीट के भवन का निर्माण शुरू हो गया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxiii) ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2012 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स असेंडेंट एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 6 नवंबर 2006 को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 5 नवंबर, 2012 को समाप्त हो गई है।

8 नवंबर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि पिछली बार बढ़ाई गई अवधि के बाद से हुई प्रगति संतोषप्रद नहीं है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तथा विकास आयुक्त, एनएसईजेड को एलओए के निरसन के लिए नोटिस जारी करने का निदेश दिया।

अब विकासक ने अनुमोदन की तिथि से औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया है। विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(1) **भूमि पर** 30 **करोड़ रुपए से अधिक का निवेश**
(2) **भूमि और संपर्क सड़क का विकास**
(3) **अधिसूचित भूमि की फेंसिंग**

विकासक ने बताया है कि वैश्विक वित्तीय बाजार में आमूल परिवर्तन तथा आईटी उद्योग में मंदी एवं आईटी स्पेस की खपत में काफी गिरावट के कारण विलंब हुआ है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है।

तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xxiv) महादेवपुरा और कग्गाडासपुरा, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 02 जुलाई, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 3 **जुलाई**, 2007 **को प्रदान किया गया था। आज तक एसईजेड अधिसूचित नहीं हुआ है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो** 2 **जुलाई**, 2013 **तक वैध था।**

विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि बीडीए से विकास योजना का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। उन्होंने बीडीए को विकास शुल्क के भुगतान के लिए 66 **लाख रुपए तथा अन्य शुल्कों / अनुमोदनों एवं भूमि की सफाई तथा विकास पर व्यय के लिए** 5.08 **करोड़ रुपए का व्यय किया है।**

विकास आयुक्त ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxv) ब्लाक 9, ग्राम कक्कानाड, तालुक कानायन्नूर, जिला एर्नाकुलम, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अप्रैल, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स स्मार्ट सिटी (कोच्चि) इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 21 **अप्रैल** 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को औपचारिक अनुमोदन के तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो** 20 **अप्रैल**, 2014 **तक वैध था।**

विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुरोध की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि 6.5 **लाख वर्गफीट के पहले आईटी भवन का निर्माण चल रहा है तथा अप्रैल** 2015 **तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। अवसंरचना कार्य जैसे कि सार्वजनिक सड़क से कनेक्टिविटी का कार्य प्रगति पर है। विकासक ने** 280 **करोड़ रुपए के कुल निवेश से मार्च** 2014 **तक चरण** 1, 660 **करोड़ रुपए के कुल**

निवेश से अक्टूबर 2016 तक चरण 2 तथा 3300 करोड़ रुपए के निवेश से 2020 तक चरण 3 का कार्यान्वयन पूरा करने का प्रस्ताव किया है।

यह एसईजेड एसपीवी द्वारा विकसित किया जा रहा है जिसमें केरल सरकार पार्टनर है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxvi) ग्राम भिगान और कुरार इब्राहिमपुर, मुर्थल के पास जिला सोनीपत, हरियाणा में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 17 जून, 2013 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 18 जून, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को दो बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 17 जून, 2013 तक वैध थी।

विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल तक पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। 30 अगस्त 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक में प्रस्ताव को शामिल किया गया था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि विकासक के उक्त अनुमोदन को अनुमोदित करने से पूर्व एसईजेड भूमि की सन्निकटता के मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त की जाए। तब तक वैधता अवधि बढ़ाने के अनुरोध को आस्थगित रखा जाएगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अब यह सूचित किया है कि राज्य सरकार ने 2 जनवरी 2014 को 101.24 हेक्टेयर के अधिसूचित क्षेत्रफल में से 75.55 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए एनओसी प्रदान किया है। आंशिक विमुक्तीकरण का प्रस्ताव वाणिज्य विभाग में विचाराधीन है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.2 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

खोपटा, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स मुंबई एसईजेड लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

उपर्युक्त विकासक को 8 अगस्त 2006 को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। एसईजेड नियमावली के अनुसार, उपर्युक्त सैद्धांतिक अनुमोदन 7 अगस्त 2007 तक वैध था। विकासक को छ: विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 7 अगस्त, 2013 को समाप्त हो गई है। विकासक ने एक साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 7 अगस्त 2014 तक अपने सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड ने सूचित किया है कि विकासक ने अब तक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा नए भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक तथा आर एंड आर विधेयक के अधिनियमन के बाद (जो विलंबित हुए हैं) सन्निकटता स्थापित करने के लिए शेष भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है। विकास आयुक्त, एनएमएसईजेड ने यह भी टिप्पणी की है कि विकासक ने अब तक सभी निजी भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा सरकारी भूमि पर नहीं बैठा है।

प्रस्ताव पर 12 जून, 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 58वीं बैठक में विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया तथा वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने से पूर्व मुद्दे पर राज्य सरकार की राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

अब राज्य सरकार ने एक साल के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.3 : तीसरे साल के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 12 जनवरी 2014 के बाद अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड - सीटीओ जो ग्राम देवुनीपटावालसा, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल तथा एपीआई के विनिर्माण के लिए डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

निर्यात के लिए फर्मास्युटिकल एवं एपीआई के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 13 जनवरी, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, वीएसईजेड द्वारा 3 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 12 जनवरी, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने बताया है कि उन्होंने यूनिट (प्लांट एवं मशीनरी) से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। इस समय कुछ उत्पादों के ट्रायल एवं वैधीकरण का कार्य चल रहा है। फार्मा प्लांट के वाणिज्यीकरण के लिए कठोर मानदंडों की वजह से अधिक समय लगता है। यूनिट 2014-15 की पहली तिमाही में 3 से 4 उत्पादों के वाणिज्यीकरण की उम्मीद कर रही है।

यूनिट ने परियोजना में 122 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा अतिरिक्त मशीनरी के लिए इस परियोजना पर 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का निवेश किए जाने की संभावना है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 1)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) 18 अप्रैल 2014 के बाद अपने एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड - एफटीओ जो ग्राम देवुनीपटावालसा, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फर्मास्युटिकल तथा एपीआई के विनिर्माण के लिए डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

निर्यात के लिए फर्मास्युटिकल एवं एपीआई के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 19 अप्रैल, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को द्वारा 3 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 18 अप्रैल, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने सूचित किया है कि फार्मा सेक्टर में जटिलता यह है कि उन्हें अनुमोदित उत्पादों के निर्यात के लिए एफडीए सहित विभिन्न सांविधिक एजेंसियों से अनेक अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस समय वे ट्रायल रन कर रहे हैं तथा कुछ उत्पादों के वैधीकरण बैच प्रगति पर हैं तथा 2014-15 की पहली तिमाही के दौरान कुछ उत्पादों के उत्पादन का वाणिज्यीकरण हो जाने की संभावना है। इसलिए यूनिट ने अगले एक साल तक अर्थात 18 अप्रैल 2015 तक मंजूरी पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 2)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 4 अप्रैल 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एमनियल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडास फार्मा एसईजेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

विभिन्न फर्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण के लिए एलओपी दिनांक 5 अप्रैल 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स एमनियल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, केएएसईजेड के कार्यालय द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 4 अप्रैल, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने 4 अप्रैल, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने परियोजना में 142.72 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से 52.20 करोड़ रुपए कारखाना भवनों के निर्माण के लिए है तथा 80.04 करोड़ रुपए प्लांट एवं मशीनरी आदि के लिए है।

यूनिट ने ट्रायल उत्पादन शुरू कर दिया है तथा विभिन्न विदेशी एजेंसियों से विभिन्न विनियामक अनुमोदनों की प्रक्रिया शुरू की है जिसमें 20-24 माह और लग सकते हैं।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(iv) 28 जून 2014 के बाद (चौथे वर्ष के बाद) अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडास फार्मा एसईजेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

विभिन्न ट्रांसडर्मल पैच (मेडिकल पैच) के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 29 जून 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स जायडस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 28 जून, 2014 तक है।

यूनिट ने 28 जून, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने सितंबर 2013 तक परियोजना में 338.90 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें से 53.43 करोड़ रुपए कारखाना भवन के निर्माण एवं प्लांट व मशीनरी के इंस्टालेशन के लिए है तथा 285.47 करोड़ रुपए उत्पाद विकास के लिए है।

यूनिट ने बताया है कि चूंकि ट्रांसडर्मल पैच मानव शरीर में दवा पहुंचाने के लिए खुराक का बहुत जटिल रूप है इसलिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में गुणवत्ता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनियम अधिक कठोर हो रहे हैं। विकसित उत्पादों के लिए अनुमोदन लंबित होने के कारण यूनिट वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने में असमर्थ है तथा उम्मीद है कि इसमें एलओए के जारी होने से 5-7 वर्ष लग सकते हैं।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) 8 नवंबर 2013 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सज्जन स्पेशियलिटी लिमिटेड जो दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

विभिन्न जैविक रसायनों के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 9 नवंबर 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स सज्जन स्पेशियलिटी लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड के कार्यालय द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 8 नवंबर, 2013 तक वैध था।

यूनिट ने 8 नवंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने एसईजेड में परियोजना के लिए 9 करोड़ रुपए का निवेश किया है जिसमें भूमि तथा अन्य प्रारंभिक कार्य शामिल हैं। यूनिट द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची / समय सीमा इस प्रकार है :

(i) सिविल तथा संरचना कार्य का पूरा होना : जनवरी, 2015
(ii) प्लांट एवं मशीनरी का उत्थापन एवं इंस्टालेशन : अक्टूबर, 2015
(iii) प्लांट / उत्पादन का चालू होना : जनवरी, 2016

विकास आयुक्त ने बताया है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में अनुमोदन बोर्ड से चौथे वर्ष के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है। यूनिट निर्धारित समय सीमा के अंदर उत्पादन आरंभ नहीं कर सकी क्योंकि उनको अनुमोदित परियोजना को समय से कार्यान्वित करने में ऐसी बाधाओं एवं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उनके नियंत्रण से परे थी।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vi) 11 नवंबर 2013 के बाद मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए रवीरयाला गांव, महेश्वरम मंडल, रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे सेमी कंडक्टर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

फोटोवाल्टिक सेल के निर्माण के लिए एलओपी दिनांक 12 नवंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स केएसके सूर्या फोटोवाल्टिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 4 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 11 नवंबर, 2013 तक थी।

यूनिट ने 11 नवंबर, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने परियोजना में 100 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड जो प्लाट नंबर 1, फेज 2, पीतमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में इंदौर एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की यूनिट है, को फर्मास्युटिकल के फर्मुलेशन (टैबलेट एवं कैप्सूल) के विनिर्माण के लिए एलओए दिनांक 9 नवंबर 2004 जारी किया गया था।

यूनिट ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के तहत यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए पहले घोषित तिथि के बाद दो साल और 14 दिन की अगली अवधि के लिए एलओए दिनांक 9 नवंबर 2014 की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। उक्त एलओए उस समय लागू विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के प्रावधानों के अनुसरण में अर्थात एसईजेड अधिनियम 2005 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली से पूर्व जारी किया गया था तथा एलओए की शर्तों के अनुसरण में यूनिट को एलओए जारी होने की तिथि से 3 साल के अंदर अर्थात 8 नवंबर 2007 तक परियोजना लागू करनी थी तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना था। शासी प्रावधानों के अनुसार एलओए की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व यूनिट से आवेदन प्राप्त होने पर उसकी वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है तथा एलओए की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट द्वारा प्रस्तुत अनुरोध के अनुसार वैधता अवधि 24 नवंबर 2008 तक अर्थात एलओए की शर्तों के अनुसरण में यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू करने की घोषित तिथि तक पुन: बढ़ाई गई।

मैसर्स इपका लैबोरेटरीज लिमिटेड ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि पर पुनर्विचार करने सहित एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 14 के उप नियम 4 के तहत वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की पहले घोषित की गई तिथि के बाद एलओए दिनांक 9 नवंबर 2004 की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करने के लिए एसईजेड के अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील दाखिल की जिस पर 30 अगस्त 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक में विचार किया गया। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मामले के सभी तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए यूनिट को अवसर प्रदान करने के बाद मामले पर पुनर्विचार करने के निदेश के साथ यूनिट अनुमोदन समिति के पास मुद्दे को वापस भेजने का निर्णय लिया।

18 नवंबर 2013 को यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि के रूप में 7 दिसंबर 2010 पर पुनर्विचार करने के लिए उसे अनुमोदित किया गया। जहां तक 24 नवंबर 2008 से 7 दिसंबर 2010 की मध्यवर्ती अवधि के लिए एलओए दिनांक 9 नवंबर 2004 की वैधता अवधि बढ़ाने का संबंध है, समिति द्वारा इस पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गई जिसमें सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्तियों के अंदर एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के प्रावधानों

के अनुसरण में विलंब को विधिवत रूप से माफ करते हुए वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है परंतु यूनिट द्वारा उत्पादन शुरू करने की वास्तविक तिथि तक वैधता अवधि बढ़ाने के लिए एसईजेड के अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखा जाएगा क्योंकि समय सीमा बीत चुकी है।

यूनिट द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वर्तमान अनुरोध 7 दिसंबर 2012 तक है जो विकासक आयुक्त की शक्ति से परे है क्योंकि नियम 19 के अनुसार विकास आयुक्त को मूल वैधता अवधि के बाद केवल 3 साल तक वैधता अवधि बढ़ाने की शक्ति है और इस मामले में यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा संस्तुत अवधि तीन साल से अधिक है।

विकास आयुक्त ने सिफारिश की है कि उनके एलओए दिनांक 9 नवंबर 2014 की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए यूनिट अनुरोध पर विचार किया जा सकता है तथा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए पहले घोषित तिथि के बाद अर्थात 24 नवंबर 2008 के बाद यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित तिथि अर्थात 7 दिसंबर 2010 तक 2 साल और 14 दिन के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाई जा सकती है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) मंजूरी पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स समीर इंडस्ट्रीज जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

आयातित स्क्रैप जैसे कि एमएस स्क्रैप, एमएच स्क्रैप, सीआई स्क्रैप, कॉपर ब्रास एल्युमिनियम तथा अन्य लघु धात्विक स्क्रैप की रिसाइकल की गई मदों तथा ब्रास एवं कॉपर ड्रॉस की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट को एलओए दिनांक 23 सितंबर 1995 जारी किया गया है। यूनिट को समय समय पर "रफ डायमंड की चिराई करने" तथा अनाज / तिलहन एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए ब्राड बैंडिंग की अनुमति प्रदान की गई। एलओए का नवीकरण 1 नवंबर 2005 से होना था जिस पर सहमति एवं प्राधिकार के लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति के अभाव में विचार नहीं किया गया। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2008 को एनओसी जारी किया।

2 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 33वीं बैठक में 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 31 अक्टूबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 तक एलओए की वैधता अवधि बढ़ाई गई। इस प्रकार यूनिट के एक प्रचालन के लिए बची हुई वैधता अवधि 2 जून 2009 से 31 अक्टूबर 2010 के बीच थी। यूनिट ने 30 नवंबर 2010 को वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया जिसे 14 जनवरी 2011 को आयोजित 44वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई गतिविधि नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी पाया कि यूनिट आयातित स्क्रैप / पुराने एवं प्रयुक्त मशीनरी आइटम से रिसाइकल आइटम के निर्माण का कार्य करती है तथा निर्णय लिया कि ऐसी यूनिटों को एसईजेड में प्रचालन से हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध यूनिट ने अपने पत्र दिनांक 25 जनवरी 2011 के माध्यम से अनुमोदन बोर्ड के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए अभिवेदन प्रस्तुत किया है। यूनिट द्वारा उठाए गए मुख्य बिंदु इस प्रकार थे :

(i) अंतिम ब्लाक वर्ष में उनका एनएफई सकारात्मक है जिसमें वे प्रचालन में थे।
(ii) उन्होंने एसईजेड में 260 लाख रुपए से अधिक का निवेश किया है जो बेकार पड़ा है।
(iii) गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 24 अक्टूबर 2008 को अपनी सहमति प्रदान की है तथा 2 जून 2009 को अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार 31 अक्टूबर 2010 तक एलओए का नवीकरण किया गया।
(iv) एसआईआईबी, कांडला कस्टम द्वारा उनके माल को जब्त कर लिया गया था और इस प्रकार वे

एलओए के नवीकरण के बाद भी प्रचालन करने की स्थिति में नहीं थे। सेस्टैट द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा अब उक्त मामले का निस्तारण हो गया है तथा कस्टम में जब्त किए गए माल को छोड़ दिया है।

(v) वे 350 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यह भी बताया है कि यूनिट को संबोधित पत्र दिनांक 28 जनवरी 2009 के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने स्पष्ट किया कि मिक्स मेटल स्क्रैप तथा अन्य अलौह मेटल स्क्रैप एचडब्ल्यू (एमएच एंड टीएम) नियमावली 2008 की अनुसूची 4 के तहत शामिल नहीं है और इसलिए इन कच्ची सामग्रियों के प्रापण एवं प्रसंस्करण के लिए पंजीकरण के लिए सीपीसीबी से एनओसी की आवश्यकता नहीं है तथा उनको इसके लिए गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति एवं प्राधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा यूनिट ने ड्यूटी के भुगतान पर डीटीए को माल के क्लियरेंस तथा 5 साल की अगली अवधि के लिए एलओए के नवीकरण के लिए इस कार्यालय को पत्र दिनांक 22 नवंबर 2013 प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र जो 28 अगस्त 2014 तक वैध है, की प्रति भी प्रस्तुत की है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विचारार्थ निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए हैं :

(i) चूंकि यूनिट अलौह मेटल स्क्रैप की रिसाइकलिंग का कार्य करती है, इसलिए नियम 18 (4) (घ) के तहत एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुमति केवल अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान की जा सकती है।

(ii) फर्म मामले में अभिवेदन कर रही है। जून 2012 में आयोजित 53वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामले पर पिछली बार विचार किया गया जिसने रिकार्ड किया है कि विकास आयुक्त, केएएसईजेड द्वारा पुन: विचार के लिए मामला संदर्भित किया गया।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने बताया है कि उनके एलओए के नवीकरण में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त करने में विलंब हुआ और जिस समय यह प्राप्त हुआ उस समय तक 5 साल की ब्लाक अवधि (1 नवंबर 2005 से 31 अक्टूबर 2010 तक) की काफी अवधि बीत चुकी थी और इस प्रकार कोई गतिविधि शुरू नहीं की जा सकी। यूनिट इस अवधि के दौरान पूरी तरह निष्क्रिय थी जो नवीकरण की समस्या के कारण था। तथापि, 5 साल के अपने पिछले ब्लाक के दौरान उन्होंने सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि यूनिट ने अपने शेड / प्लाट के किराए का समय पर भुगतान किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन बोर्ड द्वारा एलओपी के नवीकरण के मामले की सिफारिश की है :

(i) 20 अगस्त 2014 के बाद एलओपी का विस्तार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उनकी अनुमति के पुन: विस्तार के अधीन होगा।

(ii) एलओपी का विस्तार गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति में उल्लिखित सभी शर्तों तथा एलओपी की अन्य स्वाभाविक शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

(iii) किसी अन्य मद की ब्राड बैंडिंग अनुमत नहीं होगी।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) 13 अक्टूबर, 2013 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कैजेन पावर लिमिटेड जो अच्युतपुरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

उपर्युक्त यूनिट को 153 एकड़ के क्षेत्रफल में एपीएसईजेड में 300 मेगावाट का संयंत्र स्थापित करने के लिए 13 अक्टूबर 2010 को एलओपी प्रदान किया गया। इसके बाद विकासक को विकास आयुक्त, एपीएसईजेड द्वारा दो विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 13 अक्टूबर, 2013 तक वैध है।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने अब तक कोई परियोजना कार्य शुरू नहीं किया है तथा यह भी सूचित किया है कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की समस्या के कारण विलंब हुआ है। तत्काल कार्रवाई के लिए 1 नवंबर 2013 को विकासक एपीआईआईसी को मामले के बारे में अवगत कराया गया है। एपीआईआईसी के प्रबंध निदेशक ने विकास आयुक्त, एपीएसईजेड को सूचित किया कि पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के मुद्दे के समाधान के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है।

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति :

(i)	चारदीवारी	: 98 प्रतिशत
(ii)	क्षेत्र का वर्गीकरण	: 75 प्रतिशत
(iii)	निर्माण विद्युत	: 95 प्रतिशत
(iv)	साइट कार्यालय	: 30 प्रतिशत
(v)	बैथीमैट्रिक सर्वे	: 100 प्रतिशत
(vi)	मृदा की प्रारंभिक जांच	: 100 प्रतिशत

विकास आयुक्त ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) 2 फरवरी 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स अलस्टोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 फरवरी 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स अलस्टोम भारत फोर्ज पावर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 02 फरवरी, 2014 तक है।

यूनिट ने 3 फरवरी, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने बताया है कि यूनिट 9 मई 2012 से साइट पर निर्माण करने में असमर्थ है जब गुजरात उच्च न्यायालय ने एपीएसईजेड के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में एपीएसईजेड के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया।

विकास आयुक्त ने 2 फरवरी 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xi) 2 फरवरी 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड जो मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में एपीएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 03 फरवरी 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कल्याणी अलस्टोम पावर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 02 फरवरी, 2014 तक है।

यूनिट ने 3 फरवरी, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने बताया है कि यूनिट 9 मई 2012 से साइट पर निर्माण करने में असमर्थ है जब गुजरात उच्च न्यायालय ने एपीएसईजेड के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में एपीएसईजेड के निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया।

विकास आयुक्त ने 2 फरवरी 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

तद्नुसार यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xii) 23 अप्रैल 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो मिहान एसईजेड, नागपुर, महाराष्ट्र की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के माध्यम से मिहान एसईजेड में आईटी / आईटीईएस यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को 6 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 23 अप्रैल, 2014 तक है।

यूनिट ने 31 दिसंबर, 2014 तक अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, मिहान एसईजेड ने यह कहते हुए अनुरोध की सिफारिश की है कि यूनिट ने परियोजना में 460.74 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा लगभग 53 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) 27 अक्टूबर, 2013 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जी मेटल्स कंपनी जो प्लाट नंबर 98 पर एनएसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

अलौह एलॉय, चेन, ज्वैलरी, फाइंडिंग कंपोनेंट सहित बहुमूल्य धातुओं के विनिर्माण के लिए मैसर्स जी मेटल्स कंपनी को 28 अक्टूबर 2010 को एलओपी जारी किया गया है। विकास आयुक्त द्वारा यूनिट को दो विस्तार प्रदान किए गए हैं तथा आखिरी विस्तार 27 अक्टूबर 2013 तक प्रदान किया गया।

अब यूनिट ने अगले 2 वर्षों के लिए अर्थात 27 अक्टूबर 2015 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है ताकि वे भवन का पुनर्निर्माण कर सकें और एलओपी को लागू कर सकें।

चूंकि 27 अक्टूबर 2013 के बाद अगले एक साल (चौथे साल) के लिए अर्थात 27 अक्टूबर 2014 तक एलओपी की वैधता अवधि तभी बढ़ाई जा सकती है जब एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक के अनुसार दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के संबंध में किसी सनदी इंजीनियर से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे यूनिट प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हुई है क्योंकि उसने अभी तक आवंटित प्लाट पर निर्माण कार्य

शुरू नहीं किया है इसलिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उसका प्रस्ताव यूनिट अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसने प्रस्ताव को अनुमोदन बोर्ड के पास भेजने का निर्णय लिया।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xiv) 8 अप्रैल, 2014 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड जो झर्सूगुडा, ओडिशा में वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स सेसा स्टर्लाइट लिमिटेड को एल्युमिनियम बनाने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए 9 अप्रैल 2009 को एलओपी जारी किया गया है। यूनिट को 3 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 8 अप्रैल, 2014 तक है।

अब यूनिट ने एक और साल तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने सभी निर्माण कार्य पूरा कर लिया है तथा मशीनरी इंस्टाल कर ली गई है। चूंकि यूनिट ने 5 साल पूरे कर लिए हैं तथा उनकी गतिविधियां पूर्ण होने के उन्नत चरण पर हैं इसलिए विकास आयुक्त ने शेष औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xv) 2 जून 2012 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स ट्रेंडी रूम्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद में जीआईडीसी - एएपी एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

रेडीमेड गारमेंट के निर्माण और निर्यात के लिए मैसर्स ट्रेंडी रूम्स एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 3 जून 2010 को एलओपी जारी किया गया है। यूनिट को 1 विस्तार प्रदान किया जा चुका है जिसकी वैधता अवधि 2 जून, 2012 तक है।

पत्र दिनांक 10 दिसंबर 2012 के माध्यम से यूनिट ने अपने निदेशक की मृत्यु के बारे में सूचना प्रदान की जिसकी वजह से संपूर्ण परियोजना रुक गई तथा वे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सके। अब तक उन्होंने एसईजेड में भूमि खरीदने के लिए 36.93 लाख रुपए का निवेश किया है।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने 6 माह की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि समय से परियोजना को लागू करने में यूनिट को ऐसी बाधाओं एवं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जो उसके नियंत्रण से परे थीं तथा एसईजेड में काफी निवेश कर चुकी है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) 5 जनवरी, 2013 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स मखतेशिम आगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो भडूच, गुजरात में दाहेज एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स मखतेशिम आगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को (1) हर्बीसाइड्स तथा उसके मध्यवर्ती उत्पादों और (2) फार्मुलेशन के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 6 जनवरी 2010 को एलओपी जारी किया गया है। यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 5 जनवरी, 2013 तक है।

यूनिट ने सूचित किया है कि कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन के कारण नए प्रबंधन ने अनुमोदित परियोजना को रोक दिया था। तथापि, अब ग्रुप ने निवेश प्रस्ताव को बहाल करने का निर्णय लिया है तथा प्रस्तावित प्लांट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता है। यूनिट ने भूमि पर 22.94 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

उनके द्वारा प्रस्तुत परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची / समय सीमा यह दर्शाती है कि अप्रैल 2015 तक ट्रायल उत्पादन तथा सितंबर 2015 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाएगा।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त ने भूमि पर किए गए पर्याप्त निवेश को ध्यान में रखते हुए 5 जनवरी 2015 तक वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvii) 2 मार्च 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड जो प्लाट नंबर 26/2, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड को 3 मार्च 2011 को एलओपी जारी किया गया है। विकास आयुक्त द्वारा यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 2 मार्च, 2014 तक थी।

यूनिट ने बताया है कि आईटी उद्योग में मंदी के कारण वे अब तक साइट पर कोई प्रगति नहीं कर सके हैं। तथापि, निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :

(क) वास्तुकारों तथा संरचना इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है तथा उन पर 6 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
(ख) अनुमोदन के लिए एमआईडीसी को ड्राइंग प्रस्तुत की गई हैं।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट योजना के अनुमोदन के तुरंत बाद निर्माण शुरू करना चाहती है ताकि एमआईडीसी के मानकों के अनुसार यथाशीघ्र यूनिट को क्रियाशील किया जा सके। विस्तार की वांछित अवधि के अंदर मार्च 2015 से पहले भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा तथा यह बढ़ाई गई अवधि के अंदर एमआईडीसी के मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रियाशील हो जाएगा।

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है (अनुबंध 3)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xviii) 2 मार्च 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड जो प्लाट नंबर 13/10-ए, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड को 3 मार्च 2011 को एलओपी जारी किया गया है। विकास आयुक्त द्वारा यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 2 मार्च, 2014 तक थी।

यूनिट ने बताया है कि आईटी उद्योग में मंदी के कारण वे अब तक साइट पर कोई प्रगति नहीं कर सके हैं। तथापि, निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :

(क) वास्तुकारों तथा संरचना इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है तथा उन पर 6 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
(ख) अनुमोदन के लिए एमआईडीसी को ड्राइंग प्रस्तुत की गई हैं।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 19 (4) के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।

यूनिट योजना के अनुमोदन के तुरंत बाद निर्माण शुरू करना चाहती है ताकि एमआईडीसी के मानकों के अनुसार यथाशीघ्र यूनिट को क्रियाशील किया जा सके। विस्तार की वांछित अवधि के अंदर मार्च 2015 से पहले भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा तथा यह बढ़ाई गई अवधि के अंदर एमआईडीसी के मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रियाशील हो जाएगा।

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है (अनुबंध 4)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xix) 10 मार्च 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड जो प्लाट नंबर 22/2, राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 3, महाराष्ट्र में एमआईडीसी के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स माइक्रोटेक इनफोकाम लिमिटेड को 11 मार्च 2011 को एलओपी जारी किया गया है। विकास आयुक्त द्वारा यूनिट को 2 विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि 10 मार्च, 2014 तक थी।

यूनिट ने बताया है कि आईटी उद्योग में मंदी के कारण वे अब तक साइट पर कोई प्रगति नहीं कर सके हैं। तथापि, निम्नलिखित कार्य शुरू किए गए हैं :

(क) वास्तुकारों तथा संरचना इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है तथा उन पर 6 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
(ख) अनुमोदन के लिए एमआईडीसी को ड्राइंग प्रस्तुत की गई हैं।

अब यूनिट के लिए एसईजेड नियमावली 2006 **के नियम** 19 (4) **के दूसरे परंतुक की शर्तों में प्रावधान के अनुसार निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियों के पूरा होने के अभाव में चौथे वर्ष के लिए तथा इसके बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है।**

यूनिट योजना के अनुमोदन के तुरंत बाद निर्माण शुरू करना चाहती है ताकि एमआईडीसी के मानकों के अनुसार यथाशीघ्र यूनिट को क्रियाशील किया जा सके। विस्तार की वांछित अवधि के अंदर मार्च 2015 **से पहले भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा तथा यह बढ़ाई गई अवधि के अंदर एमआईडीसी के मानदंडों को पूरा करने के बाद क्रियाशील हो जाएगा।**

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया है (अनुबंध 5)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xx) 24 जून 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हॉस्पिरा हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो पारावाड़ा, विशाखापत्तनम जिला, आंध्र प्रदेश में इंजेक्शन के योग्य फार्मुलेशन के विनिर्माण के लिए मैसर्स रामकी फार्मासिटी इंडिया लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

इंजेक्शन के योग्य फार्मुलेशन के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 25 **जून**, 2010 **को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो** 24 **जून**, 2014 **तक वैध है।**

यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने प्लांट एवं मशीनरी से संबंधित सभी कार्य पूरे कर लिए हैं तथा वे ट्रायल बैच का निर्माण कर रहे हैं तथा अगले माह के दौरान निरीक्षण के लिए यूएस एफडीए की टीम द्वारा यूनिट का दौरा करने की उम्मीद है और निरीक्षण एवं अनुमोदन के बाद वे अगले 10 **माह के अंदर वाणिज्यिक बैच का निर्माण शुरू करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए यूनिट ने अगले एक साल तक अर्थात** 25 **जून** 2015 **तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।**

विकास आयुक्त ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 6)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxi) 28 फरवरी 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड जो इंदौर एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

टेबलेट, कैप्सूल, मलहम, ड्राई सीरप तथा इंजेक्शन के विनिर्माण के लिए उपर्युक्त यूनिट को 14 **जून** 2010 **को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को** 3 **विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 28 **फरवरी**, 2014 **तक थी।**

यूनिट ने एक साल की अगली अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

यूनिट ने परियोजना में 325.03 **लाख रुपए का व्यय किया है तथा वास्तव में विभिन्न सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करके तथा नए बाजारों का अन्वेषण करके एसईजेड में गतिविधियां शुरू की हैं।**

विकास आयुक्त, इंदौर एसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है (अनुबंध 7)**।**

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxii) 14 फरवरी, 2014 के बाद उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स डि कोर नैनो सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड (डी कोर) जो गांधीनगर, गुजरात में इलेक्ट्रानिक्स - आईटी / आईटीईएस के लिए जीआईडीसी के एसईजेड की एक यूनिट है, का अनुरोध

लाइट एमिटिंग डायोड्स (एलईडी) तथा इसके चिप्स के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उपर्युक्त यूनिट को 15 फरवरी, 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद विकासक को द्वारा 3 विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 14 फरवरी, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने बताया है कि वे एलओए की निर्धारित एवं बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं कर सके क्योंकि उनको विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में अभूतपूर्व विलंब, उनके आपूर्तिकर्ताओं / टर्नकी ठेकेदारों की ओर से विलंब का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास स्थानीय स्तर पर इस उद्योग के अभाव में परियोजना के निष्पादन में विशेषज्ञता एवं अनुभव का अभाव था। उन्होंने सूचित किया है कि यह प्लांट भारत में नैनो सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए इस तरह का पहला प्लांट है। इस समय एसईजेड में अपनी यूनिट को खड़ा करने एवं चालू करने के अंतिम चरणों पर हैं। यूनिट ने अब तक 82 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

विकास आयुक्त ने छ: माह की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है (अनुबंध 8)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.4 : क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

(i) अपने एएसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (एलएंडटी) जो ग्राम अंखोल एवं बैपोड, जिला वड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने अपने एसईजेड के विस्तार के लिए 2.1974 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि तथा 7.0867 हेक्टेयर भूमि की कटौती करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 5.11.07 हेक्टेयर हो जाएगा।

8 नवंबर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में क्षेत्रफल में कटौती के अनुरोध पर फाइल पर विचार किया जाएगा।

राज्य सरकार ने संबंधित विभाग से इस संबंध में एनओसी के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि विकासक ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के तहत प्राप्त किए गए सभी कर / ड्यूटी लाभ वापस कर दिए हैं।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि एवं कटौती के अनुरोध की सिफारिश की है।

मौजूदा 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 2.1974 हेक्टेयर की वृद्धि करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) अट्टिप्रा गांव, त्रिवेंद्रम तालुक, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, केरल का अनुरोध

11.87.65 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 19 **नवंबर**, 2009 **को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने** 10.86.23 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल की वृद्धि के लिए अनुरोध किया है जिससे कुल क्षेत्रफल** 22.73.88 **हेक्टेयर हो जाएगा।**

एसईजेड में शामिल किया जाने वाला क्षेत्रफल एसईजेड के क्षेत्रफल के 10 **प्रतिशत से अधिक है।**

केरल राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.5 : अनुमोदन बोर्ड द्वारा पुष्टि के लिए मामले

(i) आदिबाटला गांव, इब्राहिमपट्टनम मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 03 फरवरी, 2014 के बाद पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन 4 **फरवरी** 2008 **को प्रदान किया गया था। अब एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक को तीन विस्तार प्रदान किए जा चुके हैं जिसकी वैधता अवधि** 3 **फरवरी**, 2014 **तक है।**

विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

विकासक ने निम्नलिखित निवेश किया है / योजना बनाई है :

(i) **परियोजना पर** 416.63 **करोड़ रुपए का निवेश**

(ii) 1 **यूनिट को एलओए जारी करने के लिए आवेदन भी अनुमोदन समिति के विचाराधीन है।**

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध की सिफारिश की थी। तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तथापि, चूंकि अनुमोदन बोर्ड की बैठक जो 17 **जनवरी** 2014 **को होनी थी, स्थगित हो गई, इसलिए विकास आयुक्त ने** 3 **माह तक अर्थात** 3 **मई** 2014 **तक विकासक के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ा दी क्योंकि एसईजेड में निर्माण कार्य पूर्ण होने के कगार पर था। एक यूनिट को मंजूरी पत्र जारी किया गया तथा उत्पादन शुरू करने की उसकी संभावित तिथि मार्च/अप्रैल** 2015 **है।**

विकास आयुक्त ने 3 **माह के लिए विकासक के औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाए जाने की पुष्टि के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष मामले को रखने का अनुरोध किया है।**

तद्नुसार अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स लार्सेन एंड टुब्रो लिमिटेड जो कट्टूपल्ली, तमिलनाडु में मैसर्स एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव जिसमें आयात के लिए प्रतिबंधित मदों की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है

निम्नलिखित आफशोर प्लेटफार्म एवं प्रोडक्ट के विनिर्माण, संयोजन, गुणवत्ता आश्वासन / गुणवत्ता नियंत्रण, जांच एवं ट्रायल तथा लोड आउट के लिए उपर्युक्त को एलओपी प्रदान किया गया था : पाइल्स, जैकेट, टॉपसाइड और उसके पार्ट्स, फ्लोटिंग प्रोडक्शन एवं स्टोरेज यूनिट; एफपीएसओ, सेमी सबमर्सिबल, टीएलपी, स्पार, जैक अप रिग तथा उसके पार्ट्स" अब यह यूनिट क्रियाशील हो गई है।

यूनिट ने निम्नलिखित प्रतिबंधित मदों की खरीद के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है जिन्हें पोत निर्माण की गतिविधियों में प्रयुक्त किया जाएगा :

मद का नाम	आईटी एचएस कोड	अपेक्षित मात्रा की संख्या
रडार	85261000	1 सेट
नान डायरेक्शनल बेकन	85269140	1 सेट

इस विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 47 के अनुसार डीटीए आपूर्तिकर्ता से प्रतिबंधित मदों के आयात / प्रापण के लिए अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8 नवंबर 2013 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय की राय प्राप्त करने और इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखने के बाद फाइल पर मामले को प्रोसेस करने का निर्णय लिया गया।

इस बीच यूनिट ने प्रस्ताव को शीघ्र क्लियर करने का अनुरोध किया क्योंकि 10 फरवरी 2014 तक मद का निर्यात किया जाना है तथा ऐसा न होने पर उनको भारी दंड का भुगतान करना पड़ेगा। नोट किया गया कि आयातित दो मदें निषिद्ध मदें नहीं हैं तथा ऑफशोर प्लेटफार्म में इंस्टालेशन के तुरंत बाद उनका निर्यात किया जाएगा। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन के पूर्वानुमान में फाइल पर प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

(iii) 21 फरवरी 2014 के बाद अनुमति पत्र (एलओपी) की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडास फार्मा एसईजेड द्वारा फर्मास्युटिकल्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट की यूनिट है, का अनुरोध

विभिन्न फर्मास्युटिकल उत्पादों के विनिर्माण के लिए एलओपी दिनांक 22 फरवरी 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, केएएसईजेड के कार्यालय द्वारा तीन विस्तार प्रदान किए गए हैं जो 21 फरवरी, 2014 तक वैध है।

यूनिट ने 21 फरवरी, 2014 के बाद एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

यूनिट ने कारखाना भवन के निर्माण तथा प्लांट एवं मशीनरी के इंस्टालेशन के लिए 45.51 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने फर्मास्युटिकल उत्पादों के विकास के लिए भी 24.13 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

यूनिट ने अध्ययन तथा निर्यात के लिए संबंधित देश के फर्मास्युटिकल विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए अपने विनिर्माण परिसर में अपने प्रदर्श बैच का ट्रायल उत्पादन शुरू किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की अवधि बढ़ाने के अनुरोध की सिफारिश की है। तद्नुसार विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तथापि, चूंकि अनुमोदन बोर्ड की बैठक जो 17 जनवरी 2014 को होनी थी, स्थगित हो गई इसलिए यूनिट ने फाइल पर

विस्तार के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि वे नियमित क्रम में आयात / निर्यात की अपनी गतिविधियों को जारी रख सके क्योंकि उनके एलओपी की वैधता अवधि 21 फरवरी 2014 को समाप्त हो गई थी। तद्नुसार यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि फाइल पर 21 फरवरी 2015 तक बढ़ाई गई।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष पुष्टि के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.6 : विभिन्न मदों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाना

(i) 1 जनवरी 2014 से चार साल की अगली अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड जो एमईपीजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स त्रिशिराया रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड को 01 जनवरी, 2003 से एसईजेड स्कीम में फेरस / गैर फेरस / इलेक्ट्रिकल तथा अन्य स्क्रैप की रिसाकलिंग के लिए एलओपी दिनांक 4 अप्रैल 2000 के माध्यम से यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था।

1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2017 तक 5 साल की अवधि के लिए संशोधित अनुमान के साथ अपने एसईजेड के स्टेटस के नवीकरण के लिए यूनिट के अनुरोध तथा क्षमता को 1500 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 मीट्रिक टन करने के लिए उनके अनुरोध को 18 जून 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 56वीं बैठक में रखा गया जिसमें एलओपी के नवीकरण के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि किसी डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी तथा क्षमता में वृद्धि के लिए उनके अनुरोध को आस्थगित कर दिया गया। 12 जून 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 58वीं बैठक में भी क्षमता में वृद्धि के लिए यूनिट के अनुरोध को मंजूरी प्रदान नहीं की गई तथा इस इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया गया कि एलओए का नवीकरण मुद्दे पर नीति को अंतिम रूप दिए जाने के अधीन केवल एक साल के लिए अर्थात 1 जनवरी 2014 तक होगा। इस मुद्दे पर किसी नीति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विकास आयुक्त ने 1 जनवरी 2014 से चार साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए पुन: प्रस्तुत है।

(ii) 24 मार्च 2013 से 23 मार्च 2018 तक पांच साल की दूसरी अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स एसईजेड रिसाइकलिंग जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में रिसाइकलिंग यूनिट है, का प्रस्ताव

पहले यह प्रस्ताव 15 मार्च 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 57वीं बैठक में रखा गया था तथा विकास आयुक्त, एमईपीजेड से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा आवश्यक जांच के बाद फाइल पर उपयुक्त निर्णय लेने का निर्णय लिया गया।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सूचित किया है कि यूनिट को 7 अप्रैल 2006 को एलओए जारी किया गया था। विकास आयुक्त द्वारा एलओए इसलिए जारी किया गया क्योंकि उस अवधि के दौरान एसईजेड अधिनियम लागू नहीं था तथा यूनिट अनुमोदन समिति स्थापित नहीं थी। तथापि, अब एसईजेड अधिनियम लागू हो गया है तथा यूनिट अनुमोदन समिति या विकास आयुक्त द्वारा यूनिट के एलओए के नवीकरण को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह रिसाइकलिंग यूनिट है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड से एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 18 (4) के अनुसरण में यूनिट के एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त ने 24 मार्च 2013 से 23 मार्च 2018 तक 5 साल की दूसरी अवधि के लिए यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.7 : निम्नलिखित के संदर्भ में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले :

(i) प्लास्टिक की रिसाइकलिंग का काम करने वाले मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट जो केएएसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड की यूनिटों पर एसईजेड से संबंधित नीति अर्थात वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध-9)

एसईजेड नियमावली का नियम 18 (4) यह कहता है कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली किसी यूनिट के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा लिया जाएगा।

12 जून 2013 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2013 तक या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

इस बीच एसईजेड में प्लास्टिक स्क्रैप या अपशिष्ट की रिसाइकलिंग करने वाली एसईजेड की यूनिटों पर नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध-9)।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर 2013 तक या अगले आदेशों तक इस निदेश के साथ उपर्युक्त सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त ऐसे सभी मामलों को उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (मूलत: 17 अक्टूबर 2013 के लिए निर्धारित) के समक्ष लाएंगे। तद्नुसार 28 यूनिटों के संबंध में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले पर 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई। अब विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने मैसर्स अनीता एक्सपोर्ट के एलओपी के नवीकरण के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उसका मामला भेजा है (अनुबंध 10)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.8 : फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विविध मामले

(i) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स जिंदल इंटरनेशनल तथा मैसर्स अफकान इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड में फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिटे हैं, के अनुरोध

एसईजेड से संबंधित नीति अर्थात एसईजेड में फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों के कामकाज को विनियमित करने के लिए नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध-11)

एसईजेड नियमावली का नियम 18 (4) यह कहता है कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली किसी यूनिट के संदर्भ में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर निर्णय अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा लिया जाएगा।

12 जून 2013 को आयोजित अपनी 58वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय लिया कि प्लास्टिक या फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग करने वाली यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2013 तक या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाए।

इस बीच फटे पुराने तथा प्रयुक्त कपड़ों के कामकाज को विनियमित करने के लिए एसईजेड में यूनिटों पर नीति वाणिज्य विभाग द्वारा 17 सितंबर 2013 को अलग से जारी की गई (अनुबंध-11)।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए 30 नवंबर 2013 तक या अगले आदेशों तक इस निदेश के साथ उपर्युक्त सभी यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय विकास आयुक्त ऐसे सभी मामलों को उनके एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक (मूलत: 17 अक्टूबर 2013 के लिए निर्धारित) के समक्ष लाएंगे। तदनुसार 14 यूनिटों के संबंध में एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के मामले पर 8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान की गई।

अब विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने मैसर्स जिंदल इंटरनेशनल और मैसर्स अफकान इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओपी के नवीकरण के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ उसका मामला भेजा है (अनुबंध 12)। विकास आयुक्त द्वारा इन दो यूनिटों के संबंध में कुछ मुद्दे भी उठाए गए हैं (अनुबंध 13)

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(ii) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल जो एफएसईजेड में फटे पुराने एवं प्रयुक्त कपड़ों की रिसाइकलिंग का काम करने वाली यूनिट है, का अनुरोध

फाल्टा एसईजेड में सभी प्रकार के रिप्रोसेस्ड गारमेंट / प्रयुक्त कपड़ों / गौण वस्त्र सामग्रियों / क्लिपिंग / रैग / औद्योगिक वाइपर / शूडी वूल / यार्न / ब्लैंकेट / शॉल तथा रिसाइकल करने के योग्य अन्य वस्त्र सामग्रियों की विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए यूनिट को 2 मई 2000 को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओपी की वैधता अवधि 31 अक्टूबर, 2013 तक थी। यूनिट ने 1 नवंबर 2013 से 5 साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने निर्णय के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास प्रस्ताव भेजा है

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.9 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) वागरा, जिला भडूच, गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स स्वर्णिम दाहेज स्प्रिंग डिसेलिनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

1732.55.34 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स स्वर्णिम दाहेज स्प्रिंग डिसेलिनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड ने विकासक, सह विकासक, एसईजेड यूनिट को डिसेलिनेटेड वाटर की आपूर्ति के लिए 60 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 336 एमएलडी के डिसेलिनेशन प्लांट के

विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 मार्च, 2012 उपलब्ध कराया गया है। विकासक ने प्रस्ताव परियोजना के लिए प्लाट नंबर जेड-84/2 (60 हेक्टेयर) आवंटित किया है। परियोजना के लिए प्रस्तावित निवेश 3000 करोड़ रुपए है। आवंटित भूखंड के क्षेत्रफल के संबंध में सह विकासक करार दिनांक 22 मार्च 2012 में संशोधन की आवश्यकता थी। 60 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख करने वाले सह विकासक करार दिनांक 22 मार्च 2012 में संशोधन दिनांक 7 जनवरी 2014 उपलब्ध कराया गया है। विकासक और सह विकासक के बीच उप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) ग्राम मनिखोंडा, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स लैंको हिल्स टेक्नोलॉजी पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स जैपसन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

12.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स जैपसन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने 0.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में नए भवन के कुछ भाग में आईटी उद्योग से संबंधित फ्लोरिंग, इंटीरियर, फिट आउट तथा अन्य सुविधाओं के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 25 नवंबर, 2013 उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 33 साल है। संपूर्ण संपत्ति के लिए पट्टा किराया 1 लाख रुपए प्रतिमाह निर्धारित किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) देवुनीपलवासला गांव, रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में मैसर्स डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा फर्मास्युटिकल एवं एपीआई के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डीआरएसएस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था।

मैसर्स डीआरएसएस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड जो विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) है, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड तथा मैसर्स एसएस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम है।

मैसर्स डीआरएसएस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में 6 बिल्डिंग ब्लाक के रूफ टॉप पर फोटोवाल्टिक सोलर पावर पैनल / प्लांट स्थापित करने के लिए 22901 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथा पैदा की गई बिजली की आपूर्ति एसईजेड में विनिर्माण सुविधाओं के लिए की जाएगी।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 नवंबर, 2013 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 5 साल है। संपूर्ण परिसर के लिए पट्टा किराया 1000 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) विश्वनाथपुरम गांव, होसुर तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स ओकाया इनफोकाम प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

70.01 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स ओकाया इनफोकाम प्राइवेट लिमिटेड ने 10 एकड़ के क्षेत्रफल में अबाध विद्युत आपूर्ति, सेंट्रल एयरकंडिशनिंग तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आईटी / आईटीईएस के प्रचालन एवं अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 5 नवंबर, 2012 उपलब्ध कराया गया है। पट्टा विलेख दिनांक 5 नवंबर, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। पट्टा की अवधि 99 साल है। पट्टा किराया 1 रुपए प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है। विकासक को 6.377 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है जो न्यूनतम 15 प्रतिशत तथा अधिकतम 85 प्रतिशत की कटौती के अधीन 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से राशि जब्त करने के बाद लौटाई जा सकती है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) ग्राम पनोली, तालुक अंकलेश्वर, जिला भडूच, गुजरात में मैसर्स एचबीएस फार्मा एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में जेबी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा फार्मास्युटिकल के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एमनिटी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एलएलपी का अनुरोध

फर्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड 125.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9 जनवरी 2009 को अधिसूचित हो गया है। विकासक ने चारदीवारी, प्रशासनिक ब्लाक, आंतरिक सड़कों, गैस, पानी, निस्सारी के लिए पाइप लाइन नेटवर्क आदि का कार्य पूरा कर लिया है।

मैसर्स एचबीएस एमनिटी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एलएलपी ने 125.04 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सुरक्षा, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, जल शोधन, स्टार्म वाटर एवं सीवेज निस्तारण, एचवीएसी सिस्टम, लैंड स्केपिंग एवं जल पिंड, हाउसकीपिंग की सेवाओं, परिवहन, पीएमसी सेवा, प्रवेश नियंत्रण एवं निगरानी, सड़क नेटवर्क, वाणिज्यिक या औद्योगिक निर्माण, विज्ञापन एवं विपणन सहित साइट पर अवसंरचना के विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए एसईजेड में सेवाएं प्रदान करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

मैसर्स एचबीएस सिटी प्राइवेट लिमिटेड तथा मुंबई के श्री काव्याना शाह पुत्र श्री महेंद्र शाह के बीच एलएलपी करार उपलब्ध कराया गया है। विकासक के साथ किया गया प्रारूप सह विकासक करार उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड का अनुरोध

8 नवंबर 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मैसर्स जीएसपीसी एलएनजी लिमिटेड के मामले पर विचार किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर जांच के बाद मामले में निर्णय लिया जाएगा।

अब डीजीईपी ने अग्रेतर चर्चा के लिए अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में सह विकासक के प्रस्ताव को लेने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना भी प्रस्तुत की है (अनुबंध 14) :

(i) आवेदक ने सूचित किया है कि निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) ने उक्त परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। अनुमोदन में विलंब से सेवा कर के भुगतान की वजह से अगले तीन महीनों में 40 से 65 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा।

(ii) पत्र दिनांक 6 फरवरी 2014 के माध्यम से आवेदक ने इस बात पर जोर दिया है कि वे समय से बचने के लिए ड्यूटी का भुगतान करके कार्य का निष्पादन करा रहे हैं। 5 एमएमटीपीए की कुल क्षमता में से 3.8 एमएमटीपीए की आपूर्ति विभिन्न एसईजेड को की जाएगी।

(iii) पत्र दिनांक 14 फरवरी 2014 के माध्यम से आवेदक ने सूचित किया है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने अपनी 130वीं बैठक में परियोजना के लिए सहमति प्रदान कर दी है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vii) राजीव गांधी इनफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी फेज 2, ग्राम मारुंजी, तालुक मुल्शी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स पुणे एंबेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स एंबेसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में भवनों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 12 नवंबर, 2013 उपलब्ध कराया गया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) देवराबीसनाहल्ली एवं करियम्माना अग्रहारा गांव, वर्थू होबली, बंगलौर, कर्नाटक में मैसर्स विकास टेलीकॉम लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स वीटीवी इनफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

38.16 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स वीटीवी इनफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित गतिविधियों के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है :

(क) **एसईजेड के संपूर्ण क्षेत्रफल में निर्मित किए जाने वाले भवनों तथा अन्य अवसंरचना / सुविधाओं का प्रचालन एवं अनुरक्षण।**

(ख) **विद्युत एवं यांत्रिक कार्य सहित इंजीनियरिंग अनुरक्षण; हीटिंग, वेंटिलेशन तथा एयरकंडिशनिंग (एचवीएसी) सिस्टम; फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, जलापूर्ति, स्टार्म ड्रेनेज तथा सीवेज निस्तारण, लिफ्ट, लॉबी, कॉन्फ्रेंस हॉल, पार्किंग एरिया, यूटिलिटी एरिया का अनुरक्षण सहित भवन रख रखाव की सेवाएं, कचरा एवं स्क्रैप निस्तारण, बागवानी, पेस्ट कंट्रोल, फैकेड की सफाई सेवा।**

(ग) **सुरक्षा सेवाएं**

(घ) **फायर तथा लाइफ सेफ्टी के उपाय**

(ङ) **विद्युत एवं चिल्ड वाटर का उत्पादन**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 6 **नवंबर**, 2013 **उपलब्ध कराया गया है।**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तावों की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

156.456 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 20 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 10 **मेगावाट के सोलर फोटोवाल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए रूफ टॉप के उपलब्ध क्षेत्रों तथा भूतल के अप्रयुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 **फरवरी**, 2013 **भी उपलब्ध कराया गया है।** 25 **साल की अवधि के लिए निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि पट्टा किराया ऊर्जा के मूल्य के** 6 **प्रतिशत के समतुल्य होगा जिसे पट्टाधारी पट्टाकर्ता से वसूल करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(x) कलवारा एवं भंभोरिया गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा हस्तशिल्प के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

153.76 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 40 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 10 **मेगावाट के सोलर फोटोवाल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए रूफ टॉप के उपलब्ध क्षेत्रों तथा भूतल के अप्रयुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 **फरवरी**, 2013 **भी उपलब्ध कराया गया है।** 25 **साल की अवधि के लिए निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि पट्टा किराया ऊर्जा के मूल्य के** 6 **प्रतिशत के समतुल्य होगा जिसे पट्टाधारी पट्टाकर्ता से वसूल करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xi) कलवारा एवं भंभोरिया गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग एवं संबद्ध उद्योगों के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

222.66 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 40 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में** 10 **मेगावाट के सोलर फोटोवाल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए रूफ टॉप के उपलब्ध क्षेत्रों तथा भूतल के अप्रयुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।**

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 **फरवरी**, 2013 **भी उपलब्ध कराया गया है।** 25 **साल की अवधि के लिए निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि पट्टा किराया ऊर्जा के मूल्य के** 6 **प्रतिशत के समतुल्य होगा जिसे पट्टाधारी पट्टाकर्ता से वसूल करेगा।**

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर विनिर्माण सहित आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

56.91 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।**

मैसर्स महिंद्रा ईपीसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 मेगावाट के सोलर फोटोवाल्टिक पावर प्लांट की स्थापना के लिए रूफ टॉप के उपलब्ध क्षेत्रों तथा भूतल के अप्रयुक्त क्षेत्रों के विकास के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 फरवरी, 2013 भी उपलब्ध कराया गया है। 25 साल की अवधि के लिए निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा विलेख भी उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि पट्टा किराया ऊर्जा के मूल्य के 6 प्रतिशत के समतुल्य होगा जिसे पट्टाधारी पट्टाकर्ता से वसूल करेगा।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xiii) मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड में विशिष्ट अधिकृत प्रचालनों के साथ सह विकासक के लिए मैसर्स अडानी हॉस्पिटल मुंद्रा प्राइवेट लिमिटेड (एएचएमपीएल) का अनुरोध

6456.3349 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

मैसर्स अडानी हॉस्पिटल मुंद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने 2.99 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एपीएसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में 100 बिस्तर वाले अस्पताल में रोगियों को आईपीडी / ओपीडी की सेवाएं प्रदान करने तथा विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस समय अस्पताल की सुविधाएं स्टर्लिंग ऐडलाइफ मुंद्रा प्राइवेट लिमिटेड (जो अनुमोदित सह विकासक है) द्वारा संचालित की जा रही हैं जिसे स्टर्लिंग ऐडलाइफ इंडिया लिमिटेड ने प्रमोट किया है, जो अब सह विकासक नहीं रहना चाहता है।

एएचएमपीएल एपीएसईजेडएल की पूर्णत: स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा कंपनी की संपूर्ण शेयर पूंजी का धारक एपीएसईजेडएल है।

विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 19 दिसंबर, 2013 उपलब्ध कराया गया है।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एसईजेड अधिनियम / नियमावली के अनुपालन के बाद एपीएसईजेड से बाहर निकलने के लिए स्टर्लिंग ऐडलाइफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) के प्रस्ताव तथा एसईजेड की संस्थाओं के प्रयोग के लिए एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अस्पताल सेवाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक बनने के लिए एचएमपीएल के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.10 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स वेंकटेश कोक एंड पावर लिमिटेड	अटिपट्टू, नंदियामबक्कम एवं पुलुदिवक्कम गांव, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु	एफटीडब्ल्यूजेड	48.56	हां**	हां	नया

*राज्य सरकार की सिफारिश

राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए इस शर्त के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है कि इसका अर्थ यह नहीं है या लिया जाएगा या आश्वस्त समझा जाएगा कि राज्य सरकार अपनी गैर कर निर्धारित भूमि प्रदान करने का प्रस्ताव करेगी, जो राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा अलग से प्रोसेस किया जाता है। ** विकासक ने भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। तथापि, यह संस्पर्शी नहीं है क्योंकि लगभग 10.255 हेक्टेयर की सरकारी गैर कर निर्धारित भूमि कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि के बीच में आ रही है। कंपनी ने विनिमय / पट्टा / बिक्री के माध्यम से अपने पक्ष में भूमि के आवंटन के लिए राज्य सरकार के पास आवेदन किया है। राज्य सरकार से अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।
***सन्निकटता के मुद्दे तथा अन्य संबद्ध मुद्दों पर औपचारिक अनुमोदन के समय विचार किया जाएगा।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि सरकारी गैर कर निर्धारित भूमि का परकीयाकरण तथा प्रस्तावित एफटीडब्ल्यू क्षेत्र से गुजरने वाली टीएनईबी की एचटी लाइनों का रिलोकेशन प्रस्तावित एफटीडब्ल्यूजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(ii)	मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल)	मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात	बहु उत्पाद	1856.5335	हां	हां	*

*विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव पर 30 अगस्त 2013 को आयोजित एसईजेड पर अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक में विचार किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। गुजरात सरकार ने भी अनुमोदन प्रदान करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकास आयुक्त, केएएसईजेड / एपीएसईजेड ने प्रस्तावित एसईजेड के लिए स्वतंत्र प्रवेश मार्ग आदि से संबंधित कुछ मुद्दे उठाए हैं। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि गृह मंत्रालय ने अभी तक अपनी टिप्पणियां प्रदान नहीं की है तथा कहा कि अगले 30 दिन के अंदर टिप्पणियां भेजी जाएं। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने 1856.5335 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मुंद्रा तालुक, जिला कच्छ, गुजरात में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया। औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व अनुमोदन बोर्ड ने वाणिज्य विभाग को बकाया मुद्दों की जांच करने तथा अनुमोदन बोर्ड को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित करने का निदेश दिया।"

गृह मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अनुमोदन बोर्ड के उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में विकास आयुक्त, केएएसईजेड की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया तथा उसे वाणिज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। चूंकि समिति की रिपोर्ट दिनांक 15 अक्टूबर 2013 में कोई स्पष्ट अनुशंसा नहीं है इसलिए विकास आयुक्त, केएएसईजेड से समिति की स्पष्ट अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। अब समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं (कार्यवृत्त दिनांक 22 नवंबर 2013)। समिति ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन अडानी पोर्ट एसईजेड लिमिटेड

(एपीएसईजेडएल) के प्रस्तावित नए एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए विकासक का अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्णय लिया :

(i) विकास आयुक्त, एपीएसईजेडएल तथा सीमा शुल्क आयुक्त, कांडला के परामर्श से मौजूदा एसईजेड का निर्दिष्ट अधिकारी किसी राजस्व रिसाव से बचने के लिए अचूक प्रणाली तैयार करेगा तथा पुष्टि करेगा कि विकासक द्वारा प्रस्तावित तंत्र यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि सामग्री का विपथन या राजस्व का लीकेज नहीं होगा / न्यूनतम होगा।

(ii) विकासक 5 साल की अवधि के अंदर प्रस्तावित फ्लाई ओवर का निर्माण करेगा। इस बीच विकासक को यह प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि फ्लाई ओवर के निर्माण के लिए उनके पास आवश्यक भूमि / अनुमति है।

(iii) विकासक प्रस्तावित एसईजेड में कोई अन्य कार्य शुरू करने से पूर्व मौजूदा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र एवं गैर प्रसंस्करण क्षेत्र के चारों ओर शेष बचे भाग में चारदीवारी का निर्माण पूरा करेगा। चारदीवारी द्वारा क्षेत्र की पूरी सुरक्षा तथा सड़कों / कोरिडोर तथा चारदीवारी के निर्माण के माध्यम से प्रस्तावित एसईजेड के तीन पॉकेटों के बीच समुचित संपर्क की व्यवस्था होने तक किसी भी यूनिट के लिए कोई एलओपी प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

(iv) क्रीक / सी को अवप्रेरित करने वाले क्षेत्र जहां चारदीवारी का निर्माण करना संभव नहीं है, में पर्याप्त सुरक्षा एवं विनियामक जनशक्ति के साथ समर्पित पेट्रोलिंग वेजल द्वारा पर्याप्त सामग्री सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए ताकि अचूक ढंग से क्षेत्र सुरक्षित हो सके।

(v) प्रस्तावित एसईजेड का प्रयोग मौजूदा पोर्ट आधारित एसईजेड के विस्तार के रूप में न करके निर्यात यूनिटों एवं गतिविधियों के लिए अकेले एसईजेड के रूप में किया जाना चाहिए। प्रस्तावित एसईजेड में संचालित की जाने वाली गतिविधियों या अवसंरचना को पोर्ट से संबंधित सेवाओं के लिए अनुमत नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) कोई वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करने से पूर्व विकासक द्वारा सीआरजेड का पूर्व अनुमोदन तथा पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(vii) प्रस्तावित एसईजेड से चारों ओर से घिरे भूमि के भू-आबद्ध पाकेट तथा ऐसे स्थानों जहां वर्तमान में एसईजेड से होकर गुजरने के लिए स्थानीय मछुआरों / ग्रामीणों को मार्ग प्रदान किया गया है, पर भी सुरक्षा एवं कस्टम कार्मिक तैनात किए जाएंगे।

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार समिति की रिपोर्ट (अनुबंध 15) अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

समिति की रिपोर्ट के आलोक में मैसर्स अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेडएल) को औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर	आवेदन की स्थिति
(iii)	मैसर्स ट्रांसेंडेंट डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	वघोली एवं भवादी, तालुक हवेली, जिला पुणे, महाराष्ट्र पुणे, महाराष्ट्र	आईटी / आईटीईएस	13.01	हां	हां	#

30 अगस्त 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर रखा गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने विकासक से कुछ सूचना / दस्तावेज प्रदान करने के लिए कहा था तथा उपर्युक्त प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की थी। तदनुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

इसके बाद विकास आयुक्त, एसईईपीजेड ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी तथा 60वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया। तथापि, विकास आयुक्त के अनुरोध पर प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।

विकास आयुक्त ने विकासक से पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति / प्रस्तावित एसईजेड के चिह्नित क्षेत्रफल पर कब्जा का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। विकासक ने बताया है कि चूंकि चिह्नित भूमि के मालिक कंपनी के प्रमोटर हैं इसलिए उन्होंने प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड की परियोजनाओं के विकास के लिए कंपनी को उक्त भूमि पट्टा पर दी है और तद्नुसार कब्जा प्रमाण पत्र दिनांक 20 दिसंबर 2013 के माध्यम से 20 दिसंबर 2013 को विकासक को कब्जा प्रदान किया गया है। तद्नुसार विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर	आवेदन की स्थिति
(iv)	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रचर कॉर्पोरेशन (एपीआईआईसी) लिमिटेड	सीतापालेम (जिरायातीचिंतुवा गांव का पुरवा), रामबिली मंडल, विशाखापट्टनम जिला, आंध्र प्रदेश	तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस फील्ड सर्विस	111.58	हां	संख्या	नया

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए प्रस्ताव को अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.11 : विविध मामले

(i) 559.81 हेक्टेयर (गैर अधिसूचित) के क्षेत्रफल में औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए मैसर्स खेड़, इकोनॉमिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो तालुक शिरूर एवं खेड़, जिला पुणे, महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, से अनुरोध

विकासक को औपचारिक अनुमोदन दिनांक 2 जनवरी 2009 मूलत: 1559.81 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जारी किया गया था।

इसके बाद 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित किया गया।

30 अगस्त 2013 को आयोजित अपनी 59वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड ने 900 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए मंजूरी प्रदान की जिससे एसईजेड का अधिसूचित क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर हो गया। अनुमोदन बोर्ड ने इस एसईजेड के सेक्टर को बहु उत्पाद से बदलकर इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड करने के लिए भी मंजूरी प्रदान की।

अब विकासक ने एसईजेड के अपने शेष 559.81 हेक्टेयर (जो अधिसूचित नहीं है) के औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है।

महाराष्ट्र सरकार औपचारिक अनुमोदन से 559.81 हेक्टेयर को वापस लेने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखने के लिए विकासक का अनुरोध प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(ii) शिवकर एवं चिकाले गांव, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए मैसर्स फामा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

मैसर्स फामा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम शिवकर एवं चिकाले, तालुक पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 10.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए एलओए दिनांक 18 फरवरी, 2008 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औद्योगिक मंदी के वर्तमान परिदृश्य तथा राजकोषीय लाभों के बारे में अनिश्चितता जिसकी वजह से एसईजेड परियोजना लाभप्रद नहीं रह गई है, के कारण औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iii) हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 18 फरवरी, 2008 के माध्यम से हल्दिया, पश्चिम बंगाल में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए मैसर्स हल्दिया फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। अब विकासक ने औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उन्होंने राज्य सरकार की वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए एसईजेड के क्षेत्र से बाहर विकसित करने का निर्णय लिया है।

विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(iv) टेक्सटाइल (परिधान सहित), चर्म उत्पादों, कार्पेट एवं रग, टॉयज एवं डॉल, खेल के सामानों, रत्न एवं आभूषण (बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर) तथा इंजीनियरिंग (हार्डवेयर के उत्पादों सहित) को शामिल करने के लिए मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) का अनुरोध

421.03 एकड़ (170.385 हेक्टेयर) के क्षेत्रफल में मुराबाद एसईजेड 2003 में अधिसूचित किया गया तथा यह 16 मार्च 2007 को क्रियाशील हो गया। इस समय इस एसईजेड में मात्र 25 यूनिटें हैं जिसमें से 14 यूनिटें नियमित प्रचालन कर रही हैं।

यूपीएसआईडीसी ने 13 सितंबर 2013 को जारी किए गए स्पष्टीकरण के साथ वाणिज्य विभाग द्वारा 12 अगस्त 2013 को जारी किए गए एसईजेड नियमावली में संशोधन के अनुसार मुरादाबाद में हस्तशिल्प के लिए

क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के सेक्टर में टेक्सटाइल (परिधान सहित), चर्म उत्पादों, कार्पेट एवं रग, टॉयज एवं डॉल, खेल के सामानों, रत्न एवं आभूषण (बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर) तथा इंजीनियरिंग (हार्डवेयर के उत्पादों सहित) को शामिल करके ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकासक ने सूचित किया है कि हस्तशिल्प सेक्टर इस समय भारी मंदी के दौर से गुजर रहा है तथा हस्तशिल्प के चीनी विनिर्माताओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पांव जमाने के लिए विनिर्माण के उत्पादों में विविधता लाने की आवश्यकता है तथा स्थानीय निर्यातकों के सुझावों के आधार पर मौजूदा हस्तशिल्प एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों का चयन किया गया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार ब्राड बैंडिंग के प्रत्येक सेक्टर के साथ समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियों के लिए ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने भूमि के न्यूनतम मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में लिया है।

वाणिज्य विभाग द्वारा पत्र दिनांक 13 सितंबर 2013 के माध्यम से जीएसआर 540 (ई) दिनांक 12 अगस्त 2013 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों में किए गए संशोधनों पर स्पष्टीकरण जारी किए गए। ब्राड बैंडिंग से संबंधित स्पष्टीकरण के पैरा 6 में निम्नानुसार प्रावधान है :

"सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के प्रावधानों ने न्यूनतम क्षेत्रफल के मापदंड के प्रयोजनार्थ एकल सेक्टर के रूप में माने गए प्रत्येक ब्राड बैंडेड सेक्टर के समान / संबद्ध क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सेक्टरों की श्रेणियां शुरू की हैं। ब्राड बैंडिंग का सिद्धांत इस तथ्य को ध्यान में रखकर लागू किया जाएगा कि अतिरिक्त यूनिटों के लिए अतिरिक्त पर्यावरणीय बाह्यताओं की आवश्यकता नहीं होगी जो ऐसी ब्राड बैंडिंग के कारण आएंगी। किसी सेक्टर को शामिल करने वाली ऐसी ब्राड बैंडेड श्रेणी के कुछ निदर्शनात्मक उदाहरणों में शामिल हैं :

- टेक्सटाइल, परिधान, होजरी, फैशन गारमेंट, वूल और कार्पेट
- लेदर, लेदर हैंडीक्राफ्ट, लेदर गारमेंट और खेल के सामान
- आटो कंपोनेंट्स / पार्ट्स, लाइट इंजीनियरिंग
- जैव प्रौद्योगिकी, फर्मास्युटिकल एवं रसायन
- आईटी, आईटीईएस, इलेक्ट्रानिक कंपोनेंट एवं हार्डवेयर विनिर्माण, गैर परंपरागत ऊर्जा, बीपीओ (विधिक, मेडिकल तथा समान सेवाओं सहित), केपीओ तथा सेक्टर की संबंधित सहायक सेवाओं से संबद्ध अनुसंधान एवं विकास तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाओं को शामिल किया जाएगा तथा सेक्टर की ब्राड बैंडिंग के अभिन्न अंग के रूप में माना जाएगा। क्षेत्र की आवश्यकता की सुसंगति आदि के आधार पर किसी सेक्टर में ब्राड बैंडिंग के लिए अतिरिक्त श्रेणियों को अनुमत करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के पास विवेकाधिकार होगा।

विकास आयुक्त, ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(v) ग्राम चेलेंबरा, तालुक तिरुरंगाडी, जिला मलप्पुरम, केरल में अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का सेक्टर ''खाद्य प्रसंस्करण'' से बदलकर ''कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण'' करने के लिए केरल इंडस्ट्रियल इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (किनफ्रा) का अनुरोध

अब 12.52 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। विकासक ने सेक्टर को "खाद्य प्रसंस्करण" से बदलकर "कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण" करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने बताया है कि घरेलू खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सेक्टर में परिवर्तन किया जा रहा है क्योंकि इस एसईजेड में सभी क्षेत्र किराए पर दिए जा चुके हैं।

साथ ही विकासक ने 12.52 हेक्टेयर के अपने मौजूदा एसईजेड में से 2.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने के लिए भी अनुरोध किया है। 8 नवंबर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में विमुक्तीकरण के अनुरोध पर फाइल पर विचार किया जाएगा।

विकास आयुक्त, ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

सेक्टर को "खाद्य प्रसंस्करण" से बदलकर "कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण" करने के लिए विकासक का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(vi) कंडक्टर पेस्ट की बिक्री के लिए मैसर्स सोलर सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के लिए मैसर्स फैब सिटी एसपीवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

उपर्युक्त यूनिट को (i) सोलर फोटोवाल्टिक सेल (ii) सोलर फोटोवाल्टिक माड्यूल (iii) सोलर फोटोवाल्टिक थिन फिल्म माड्यूल के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी प्रदान किया गया। यूनिट ने 23 फरवरी, 2009 को प्रचालन शुरू किया था। उनका प्लांट 14 प्रतिशत दक्षता के साथ सेल का निर्माण कर रहा था। इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी से परिवर्तन हुए हैं तथा सेल की वर्तमान दक्षता 16.5 प्रतिशत से 17 प्रतिशत के बीच है। इसकी वजह से वर्तमान प्लांट पुराना पड़ गया है तथा प्रचालन के लिए लाभप्रद नहीं रह गया है। इसलिए प्लांट का प्रचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

यूनिट ने विभिन्न तिथियों को 1278 किलो के कंडक्टर पेस्ट का आयात किया था जिसमें से वे केवल 236 किलो का उपयोग कर सके तथा शेष 1042 किलो का उपयोग इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रोद्योगिकी बदल गई तथा सामग्री की शेल्फ लाइफ समाप्त हो गई है। चेक गणराज्य के मैसर्स टारग्रे लिमिटेड ने इस कालातीत सामग्री का आयात करने के लिए सहमति व्यक्त की है। यूनिट ने इस कालातीत सामग्री के निर्यात के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 26 के अनुसरण में प्रस्ताव की सिफारिश की है। नियम 26 यहां उद्धृत किया जा रहा है :

"कोई यूनिट कृषि उत्पाद सहित माल एवं सेवाओं, अंशत: प्रसंस्कृत माल, सब असेंबली, कंपोनेंट, उपोत्पादों, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट या स्क्रैप, निर्यात एवं आयात की मदों के वर्गीकरण के लिए आयात व्यापार नियंत्रण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) में निर्यात के लिए निषिद्ध मदों को छोड़कर, का निर्यात कर सकती है;

परंतु यह कि विशेष रसायनों, जीवधारियों, सामग्रियों, उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों का निर्यात निर्यात एवं आयात की मदों के वर्गीकरण के लिए आयात व्यापार नियंत्रण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली) में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा;

परंतु यह भी कि यदि किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए किसी अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी तो उसे अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अनुमत किया जाएगा।

परंतु यह भी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की विनिर्माण यूनिटों पर विदेश व्यापार नीति के ऐसे प्रतिबंध लागू नहीं होंगे जो राज्य व्यापार उद्यमों पर लागू हैं।

परंतु यह भी कि लौह अयस्क का निर्यात केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के अधीन होगा।"

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(vii) नाम बदलकर मैसर्स बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (बीसीपीएल) जो महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर सहित आईटी एवं आईटीईएस एसईजेड का विकासक है, से अनुरोध

मैसर्स बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड महादेवपुरा, केआर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है। 11.31 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित हो गया है।

विकासक ने बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड तथा बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल की गई कंपनी याचिकाओं पर उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19 नवंबर 2013 के अनुसरण में बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड (बीसीपीएल) का नाम बदलकर बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बीडीपीएल) करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है।

विकासक ने पुष्टि की है कि उच्च न्यायालय के आदेश तथा डिमर्जर के बाद बैगमाने कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड तथा बैगमाने डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों के शेयरधारकों, निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(viii) नाम बदलकर एटलस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स कैलोरक्स एजुकेशन कंपनी जो मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद्र एसईजेड का सह विकासक है, से अनुरोध

मैसर्स कैलोरक्स एजुकेशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ, गुजरात में विकसित किए जा रहे बहुत उत्पाद्र एसईजेड का सह विकासक है, ने नाम बदलकर मैसर्स एटलस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड करने के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 16)। सह विकासक ने 27 फरवरी 2009 के अनुसार तथा वर्तमान (15 अक्टूबर 2013 तक की स्थिति के अनुसार) निदेशकों एवं शेयर होल्डिंग पैटर्न का ब्यौरा प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त, एपीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ix) मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (सह विकासक) तथा मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट) के विलय के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड जो आंध्र प्रदेश में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो स्पेस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (सह विकासक) को एलओए दिनांक 20 सितंबर 2010 जारी किया गया था। सह विकासक ने 30 नवंबर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 200.14 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड (यूनिट) को एलओए दिनांक 02 नवंबर 2010 जारी किया गया था। यूनिट ने 30 नवंबर, 2013 तक की स्थिति के अनुसार 73.83 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड ने दो कंपनियों के विलय के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 17)।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने निम्नलिखित के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की है :

(i) निर्णय से दोनों संस्थाओं के आयकर का निर्धारण प्रभावित नहीं होगा
(ii) विलय के बावजूद लाभ की गणना के लिए केवल शेष अवधि अनुमत होगी
(iii) अलग लेखा बहियां रखी जाएंगी।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(x) मैसर्स एम्मे वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इक्विटी के 100 प्रतिशत अंतरण द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन के लिए मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड तथा एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड जो एर्नाकुलम, केरल में मैसर्स इनफोपार्क एसईजेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड ने 7.44 एकड़ के कुल क्षेत्रफल के लिए दो जून 2006 तथा 10 जुलाई 2008 को एसईजेड के विकासक अर्थात इनफोपार्क के साथ सह विकासक करार किया था। विकासक के साथ निष्पादित पट्टा विलेख की अवधि 90 साल थी। मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड ने दो चरणों में उपर्युक्त भूखंडों का विकास किया था। 0.4 मिलियन वर्गफीट के तेजोमाया नामक सुपर स्ट्रक्चर के विकास का पहला चरण पूरा हो गया है तथा उक्त सुपर स्ट्रक्चर पूर्णत: पट्टा पर दिया जा चुका है तथा मार्च 2008 से क्रियाशील है। पहले चरण में मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड द्वारा मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा का भी विकास किया गया तथा तेजोमाया के अधिभोक्ताओं द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है।

लगभग 0.65 मिलियन वर्गफीट के सिग्नेचर टावर नामक सुपर स्ट्रक्चर के विकास के दूसरे चरण की जिम्मेदारी वर्तमान में एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड के पास है। वे चरण 2 के निर्माण तथा पाइलिंग वर्क के लिए 12 करोड़ रुपए की राशि का निवेश कर चुके थे।

चरण 2 के विकास के अपने शेष कार्य पर बल देने के लिए एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड का चरण 1 में अपने विकास के साथ एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड में विलय हो गया है। मद्रास में क्षेत्राधिकारीय माननीय उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2013 को विलय की योजना को मंजूरी प्रदान की।

परिणामत: अवसंरचना की गतिविधियों के साथ सह विकासक का दर्जा प्रदान करने के लिए मैसर्स एलएंडटी तेजोमाया लिमिटेड तथा मैसर्स एलएंडटी टेक पार्क लिमिटेड के अनुरोध को 8 नवंबर 2013 को आयोजित 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। दोनों सह विकासकों ने पत्र दिनांक 17 दिसंबर 2013 के माध्यम से उपयुक्त सभी शर्तों का पालन करने के बारे में सीएसईजेड को सूचना प्रदान की तथा सीबीडीटी के साथ अपने पत्राचारों की प्रतियां संलग्न की।

इस समय उपर्युक्त कंपनियों ने प्रस्तुत किए गए अपने आवेदनों में मैसर्स एम्मे वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इक्विटी के 100 प्रतिशत अंतरण के माध्यम से दोनों कंपनियों के स्वामित्व में परिवर्तन के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है (अनुबंध 18)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xi) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो सिरुसेरी, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो सिरुसेरी, चेन्नई में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, को एलओए दिनांक 9 जून 2006 जारी किया गया तथा 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एसईजेड अधिसूचित किया गया। अधिसूचना के अनुसरण में विकासक ने 764,524 वर्गफीट के कार्यालय स्थान का विकास किया है।

विकासक अर्थात मैसर्स हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अब पारेल इनवेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड (पीएसीआई) और बेरिंग एशिया प्राइवेट इक्विटी फंड वीएलपी (पीएसी2) के साथ एचटी ग्लोबल आईटी सोल्यूशंस होल्डिंग्स लिमिटेड (एचजीआईएसएचएल) को 75 प्रतिशत तक अपने शेयरों का अंतरण करना चाहता है। 15 जनवरी 2009 को आयोजित 31वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता है क्योंकि प्रमोटर ने शेयर होल्डिंग को घटाकर 51 प्रतिशत से कम करने का निर्णय लिया है। वाणिज्य विभाग के अनुदेश संख्या 23 दिनांक 16 जुलाई 2009 के अनुसार अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xii) पट्टाकर्ता अर्थात केएफए के एयरक्राफ्ट के लिए एयरक्राफ्ट रिकवरी का कार्य करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक लिमिटेड जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की यूनिट है, ने एसईजेड के बाहर एयरक्राफ्ट रिकवरी का कार्य करने तथा किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा पट्टा पर लिए गए एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित स्पेयर्स एवं टूल्स भेजने के लिए आवेदन किया। यूनिट ने बताया है कि किंग फिशर एयरलाइंस ने प्रचालन की अपनी समस्याओं के कारण दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर और कोलकाता के विभिन्न एयरपोर्ट में 14 एयरक्राफ्ट (7 एटीआरएस और 7 एयरबस 320) खड़े कर रखे थे। ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरने की स्थिति में नहीं हैं। डीजीसीए ने इन एयरक्राफ्टों का पंजीकरण रद्द कर दिया है तथा पट्टाकर्ता को इन एयरक्राफ्टों का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी है। पट्टाकर्ता आवास तथा निवेशिती जो एयरक्राफ्ट के वास्तविक स्वामी हैं, ने एयरक्राफ्ट रिकवरी के लिए उनसे संपर्क किया। इसलिए उनको मरम्मत के लिए तथा एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने की हालत में लाने के लिए अपेक्षित टूल्स और स्पेयर्स के साथ अपने इंजीनियर भेजने की आवश्यकता है।

विकास आयुक्त ने विचार के लिए मामले की सिफारिश की है (अनुबंध 19)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xiii) अपनी एसईजेड यूनिट को शोलिंगनल्लूर, कांचीपुरम जिला, चेन्नई में मैसर्स एल्कॉट द्वारा विकसित एसईजेड में रिलोकेट करने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो थोरईपक्कम, कांचीपुरम जिला, चेन्नई में मैसर्स आईजी3 इनफ्रा लिमिटेड के एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध

यूनिट ने किराए की लागत में कटौती, अपने स्वयं के समेकित लोकेशन में सहायक स्टाफ की लागत में कटौती के लिए तथा शेष अवधि के लिए कर लाभों को जारी रखने के लिए अपने लोकेशन को आईजी इनफ्रा3 लिमिटेड के एसईजेड से शोलिंगनल्लूर में एलकॉट के एसईजेड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है। चूंकि पूरी यूनिट दूसरे एसईजेड में शिफ्ट की जाएगी इसलिए व्यवसाय के पुनर्गठन या विभाजन का कोई प्रश्न नहीं है।

साफ्टवेयर विकास के कार्य के लिए यूनिट को एलओए दिनांक 14 दिसंबर 2006 जारी किया गया तथा यूनिट ने 4 जुलाई 2007 से अपना वाणिज्यक उत्पादन शुरू किया। 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार यूनिट का एनएफई अर्जन 240.41 करोड़ रुपए है।

विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है। (अनुबंध-20)

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(xiv) मैसर्स टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड जो नानाक्रमगुडा गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स एटीआईआईसी लिमिटेड द्वारा विकसित एसईजेड का सह विकासक है, द्वारा विकसित एसईजेड में अपनी एसईजेड यूनिट को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स एंथेलियो बिजनेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो गचिबाउली गांव, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स डीएलफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध

यूनिट ने मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड से अपने लोकेशन को मैसर्स टीएसआई बिजनेस पार्क (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स एपीआईआईसी लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित एसईजेड का सह विकासक है, के एसईजेड में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया है क्योंकि कर्मचारियों की संख्या कम हो जाने के कारण स्थान के लिए उनकी आवश्यकता घट गई है तथा विकासक ने स्थान कम करके उनकी आवश्यकता को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। नए स्थान में आवश्यकता पड़ने पर क्षमता में वृद्धि का विकल्प है तथा इसकी लागत कम पड़ रही है और प्रस्तावित सुविधा में जाने से उनकी मौजूदा प्रचालन लागत में लगभग 50 प्रतिशत की बचत हो रही है।

आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए यूनिट को एलओए दिनांक 8 नवंबर 2010 जारी किया गया तथा उन्होंने 1 अप्रैल 2011 को अपना प्रचालन आरंभ किया। 2011-12 के लिए यूनिट का निर्यात 5954.98 लाख रुपए तथा 2012-13 के लिए 4595.48 लाख रुपए है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने की सिफारिश की है। (अनुबंध-21)

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत हैं।

(xv) (क) डीटीए रिफाइनरी से अपने आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड के क्षेत्र में 50 पिलर खड़े करने (ख) मौजूदा रेल लाइन तथा एसईजेड की सड़क के नीचे दो अंडरपास का निर्माण करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अनुरोध

मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जामनगर (रिलायंस) एसईजेड का विकासक है, ने (i) डीटीए रिफाइनरी से अपने आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड के क्षेत्र में 50 पिलर खड़े करने (ii) मौजूदा रेल लाइन तथा एसईजेड की सड़क के नीचे दो अंडरपास का निर्माण करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है। एलिवेटेड संरचना खड़ी करने के लिए एसईजेड के क्षेत्र में लगभग 50 फाउंडेशन फुटिंग (पिलर) का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। इन पिलरों का आकार लगभग 2 वर्गमीटर होगा। पिलर इस ढंग से खड़े किए जाएंगे कि उनसे सन्निकटता या एसईजेड के अंदर फ्री मूवमेंट प्रभावित नहीं होगा।

विकास आयुक्त ने संबंधित क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया है तथा फर्म द्वारा प्रस्तावित निवेश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इन सुविधाओं के निष्पादन से न तो सन्निकटता प्रभावित होगी और न ही एसईजेड के प्रचालन प्रभावित होंगे, प्रस्ताव की सिफारिश की है। यह अनुमति मंत्रालय के पत्र संख्या एफ 2/41/2005-एसईजेड दिनांक 5 जुलाई 2013 के माध्यम से फर्म को आरओडब्ल्यू की अनुमति प्रदान करते समय वाणिज्य विभाग द्वारा लगाई गई सभी अन्य संगत शर्तों के अधीन हो सकती है।

डीटीए रिफाइनरी तथा मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आगामी सी2 कम्प्लेक्स को जोड़ने के लिए एसईजेड से होते हुए एक पाइप रैप इंस्टाल करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से समान अनुरोध पर विचार किया गया तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 12 जून 2013 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया :

(क) पाइप रैक इस तरह से इंस्टाल किया जाना चाहिए कि उससे संस्पर्श / एसईजेड के अंदर मूवमेंट प्रभावित न हो। तद्नुसार एसईजेड के अंदर जहां भी पाइप रैक इंटरकनेक्टिंग रोड या अन्य मौजूदा पाइप लाइनों को क्रॉस करता है, रैक की ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भूतल से उसकी ऊंचाई 15 मीटर हो;

(ख) एसईजेड क्षेत्र की एकरूपता बनाए रखने के लिए पूरी लंबाई में पाइप रैक की फेंसिंग की जानी चाहिए। फेंसिंग की ऊंचाई एसईजेड नियमावली के अनुसार होनी चाहिए;

(ग) इन पाइपों / पाइप रैक के लिए भिन्न कलर कोड का अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि ये अलग दिखें;

(घ) पाइप रैक के निर्माण के लिए किसी ड्यूटी फ्री सामग्री का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। निर्माण के दौरान सामग्री के प्रयोग का समुचित रूप से हिसाब रखा जा सकता है तथा किसी भी समय नामित सरकारी प्राधिकारियों को लेखा उपलब्ध कराया जाना चाहिए;

(ङ) एसईजेड की किसी पाइप / सुविधा / उपकरण के साथ किसी भी प्रकार से इन पाइपों का कोई इंटरकनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि एसईजेड के किसी प्लांट सहित एसईजेड रिफाइनरी से सी2 कम्प्लेक्स को किसी गैस या तरल का अंतरण किया जाता है तो यह अलग समर्पित लाइन के माध्यम से होना चाहिए। एसईजेड के क्षेत्र के अंदर दो पाइप लाइन / पाइप रैक के बीच कम से कम 8 मीटर की दूरी रहनी चाहिए ताकि डीटीए सामग्रियों के साथ एसईजेड की सामग्रियों का विलय न हो सके।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xvi) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 21 मई 2013 के विरुद्ध अपील के संबंध में मैसर्स सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, का मामला

मैसर्स सतगुरु पोलीफैब प्राइवेट लिमिटेड जो केएएसईजेड की यूनिट है, ने निदेशकों में परिवर्तन के लिए आवेदन किया था तथा पट्टा किराया के प्रभारों में वृद्धि की शर्त के साथ 4 मार्च 2013 को आयोजित केएएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 55वीं बैठक में इसे मंजूरी प्रदान की गई थी।

अपीलकर्ता ने निदेशकों में परिवर्तन होने पर अधिक पट्टा किराया प्रभारित करने के उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध अपील दाखिल की है, जिस पर 30 अगस्त 2013 को आयोजित 59वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया तथा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से इस संबंध में उनकी राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया कि क्या कंपनी के सभी निदेशकों में परिवर्तन कंपनी के स्वामित्व / प्रबंधन में परिवर्तन का मामला बनता है और क्या

निदेशकों में ऐसी परिवर्तन के बाद ऐसी कंपनी को मूल कंपनी से भिन्न नई संस्था के रूप में लिया जा सकता है।

अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के अनुसार कार्पोरेट कार्य मंत्रालय से अपनी राय प्रदान करने का अनुरोध किया गया जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस बीच यूनिट ने अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार करने के लिए अपील को लेने का अनुरोध किया है क्योंकि यह पिछले 6 महीनों से लंबित है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xvii) अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं के रूप में कुछ सेवाओं को शामिल करने के लिए मैसर्स टीसीएस लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रचालन करने वाली एसईजेड यूनिट है, से अनुरोध

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड जो हैदराबाद में स्थित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में प्रचालन करने वाली एसईजेड यूनिट है, ने अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित सेवाओं की निम्नलिखित अतिरिक्त सूची के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय दिनांक 30 जुलाई 2012 के विरुद्ध 30 अगस्त 2013 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 59वीं बैठक के समक्ष अपील की थी :

1. एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
2. कनवेंशन सर्विसेज
3. रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
4. रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस
5. ट्रैवल एजेंट की सेवाएं

उपर्युक्त अपीलों पर विचार करने के बाद अनुमोदन बोर्ड ने इस विषय पर विचार विमर्श किया तथा निर्णय लिया कि चूंकि यह विषय वाणिज्य विभाग में पहले से विचाराधीन है, इसलिए इस संबंध में वाणिज्य विभाग द्वारा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

सेवाओं की एकसमान सूची जो अधिकृत सेवा के रूप में सभी यूनिट अनुमोदन समितियों द्वारा अनुमत की जा सकती हैं, के संबंध में मुद्दे पर 29 अगस्त 2013 को आयोजित विकास आयुक्तों की बैठक के दौरान चर्चा की गई तथा उपर्युक्त के अनुसार कनवेंशन सर्विस सहित 58 सेवाओं की डिफाल्ट सूची को अंतिम रूप दिया गया है तथा सभी विकास आयुक्तों को सूचित किया गया है। इसके बाद डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में अतिरिक्त सेवाओं को शामिल करने के लिए अभिवेदन प्राप्त हुआ। 7 नवंबर 2013 को आयोजित विकास आयुक्तों की बैठक के दौरान मामले पर चर्चा हुई तथा डिफाल्ट अधिकृत प्रचालनों की सूची में दो और सेवाओं अर्थात रेंट ए कैब स्कीम ऑपरेटर सर्विस तथा एसईजेड आनलाइन सर्विस को भी शामिल किया गया। अधिकृत प्रचालनों के लिए सेवाओं की एकसमान सूची अनुबंध 22 के रूप में उपलब्ध है। सभी विकास आयुक्तों को सलाह दी जा सकती है कि वे डिफाल्ट अधिकृत सेवाओं के रूप में 60 सेवाओं की सूची को अनुमत कर सकते हैं।

अधिकृत सेवाओं के रूप में सेवाओं की एकसमान सूची में निम्नलिखित सेवाओं को शामिल करने के लिए टीसीएस का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है :

i. एयर ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
ii. रेल ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
iii. ट्रैवल एजेंट की सेवाएं

(xviii) मैसर्स टुंज इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो एनिमेशन एवं गेमिंग एसईजेड स्थापित करने के लिए किनफ्रा में सह विकासक है, से अनुरोध - एलओए को निरस्त करने के लिए अनुरोध

मैसर्स टुंज इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 2.428 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए त्रिवेंद्रम में एनिमेशन एवं गेमिंग एसईजेड में** 28 **अगस्त** 2008 **को सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई।**

उन्होंने एलओए जारी होने के बाद अधिकृत प्रचालनों के लिए एसईजेड नियमावली के अनुसार न तो बांड सह विधिक वचन पत्र निष्पादित किया है और न ही एसईजेड में अवसंरचना विकास का कोई कार्य किया है। सह विकासक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। तद्नुसार विकास आयुक्त, सीएसईजेड द्वारा विकासक अर्थात किनफ्रा से एसईजेड में सह विकासक द्वारा किए गए परियोजना कार्यान्वयन के स्टेटस के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। जवाब में विकासक ने 20 **अगस्त** 2013 **को सूचित किया है कि सह विकासक को आवंटित भूमि पर आज तक उन्होंने कोई गतिविधि शुरू नहीं की है। सह विकासक के साथ निष्पादित लाइसेंस करार की अवधि भी समाप्त हो गई है। सह विकासक ने एलओए जारी होने के बाद कोई ड्यूटी लाभ प्राप्त नहीं किया है।**

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने मैसर्स टुंज इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को जारी किए गए एलओए को निरस्त करने की सिफारिश की है।

तद्नुसार मामला विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(xix) डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय के लिए जॉब वर्क करने के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड जो वड़ोदरा, गुजरात में सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एसईजेड में एसईजेड यूनिट है, को विशेष अनुमति प्रदान करना

डीआरडीओ, रक्षा मंत्रालय ने किसी आयात के बगैर फोर्ज्ड रिंग अर्थात "स्टील / मेटल की सामग्रियों, इनगाट / ब्लूम या किसी अन्य रूप या प्रकार / ग्रेड / साइज / एलॉय सामग्री का रिंग फोर्जिंग में परिवर्तन" के विनिर्माण के लिए डीआरडीओ के एडी प्रोग्राम से संबंधित रक्षा संबद्ध जॉब वर्क करने के लिए मैसर्स एसई फोर्ज लिमिटेड जो सिनेफ्रा इंजीनियरिंग एसईजेड में एसईजेड यूनिट है, को अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

उल्लेखनीय है कि पहले यूनिट को कुछ शर्तों के साथ राजस्व विभाग की सहमति से रक्षा संबद्ध जॉब वर्क करने के लिए समान अनुमति प्रदान की गई थी।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने एक अतिरिक्त शर्त के साथ मामले की सिफारिश की है कि एसईजेड यूनिट को प्रक्रिया के दौरान सृजित अपशिष्ट एवं अस्वीकृत सामग्री की मात्रा के साथ प्राप्त विभिन्न सामग्रियों तथा उनसे विनिर्मित उत्पादों के लिए अलग लेखा रखना होगा।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने यह भी बताया है कि एसईजेड यूनिट को 31 **जुलाई** 2007 **को एलओए प्रदान किया गया था तथा** 5 **साल की विनिर्माण अविध पूर्ण होने के बाद** 24 **सितंबर** 2008 **से यूनिट सकारात्मक एनएफई प्राप्त नहीं कर सकी है तथा एसईजेड नियमावली** 2006 **के नियम** 54 **के अनुसरण में कार्यवाही शुरू की गई है। वर्तमान में यूनिट को** 23 **सितंबर** 2013 **से** 6 **माह की अवधि के लिए प्रचालन जारी रखने के लिए इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गई है कि यूनिट इस आशय का बांड सह विधिक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी कि यदि एलओए दिनांक** 31 **जुलाई** 2007 **तत्काल विस्तार के लिए अर्हक नहीं होगा तो यूनिट में / यूनिट से सभी माल / सामग्री की प्राप्ति एवं क्लियरेंस से जुड़े राजस्व पर एसईजेड अधिनियम** 2005 **तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।**

तद्नुसार डीआरडीओ का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xx) रक्षा उत्पादों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड, बंगलौर जो बंगलौर में केआईएडीबी द्वारा विकसित एसईजेड की यूनिट है, का आवेदन

उपर्युक्त यूनिट को प्रत्येक श्रेणी में 10-15 की वार्षिक क्षमता के साथ ईडब्ल्यू सिस्टम (स्टैंड एलोन तथा इंटीग्रेटेड) के प्रिसीजन इंजीनियर हाइड्रोलिक एवं यांत्रिक कंपोनेंट की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, संयोजन एवं उन्नयन, प्रिसीजन इंजीनियर्ड कंपोनेंट / पार्ट्स अर्थात लैंउ गियर एक्चुएटर, एयर फ्रेम, फ्यूजलेग तथा अन्य हाइड्रोलिक एवं युद्धक वाहनों पर मेकेनिकल पार्ट्स ब्रिज लेइंग सिस्टम की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, उन्नयन एवं संयोजन के लिए औद्योगिक लाइसेंस एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा मूलत: औद्योगिक लाइसेंस दिनांक 29 जुलाई 2011 प्रदान किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस के खंड संख्या 10 में इस बात का उल्लेख था कि यदि औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए जाने की तिथि से दो साल की अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं होगा तो लाइसेंस मान्य नहीं रह जाएगा। इस अवधि को बढ़ाने के लिए लाइसेंस धारक परिस्थितियों जिनके तहत तथा अवधि जिसके लिए विस्तार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, का ब्यौरा प्रदान करते हुए पूर्ण औचित्य के साथ रक्षा उत्पादन मंत्रालय / विभाग, नई दिल्ली के पास आवेदन कर सकता है।"

एसईजेड / ईओयू से संबंधित संस्थाओं सहित संस्थाओं को औद्योगिक लाइसेंस जारी करने तथा उस पर विचार करने का कार्य डीआईपीपी द्वारा देखा जा रहा था परंतु अब यह कार्य वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। एसईजेड की संस्थाओं के संबंध में वाणिज्य विभाग में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी अनुरोधों को विचार करने के लिए अनुमोदन के समक्ष रखा जाएगा।

उपर्युक्त यूनिट अर्थात मैसर्स विप्रो लिमिटेड, बंगलौर ने अपने औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए वाणिज्य विभाग के पास आवेदन किया जिस पर मूल रूप से रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा विचार किया जाना था। तथापि, चूंकि एसईजेड / ईओयू संस्थाओं को नया और / या परवर्ती औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के मामले में वाणिज्य विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसलिए यूनिट से नया औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करने के लिए अनुरोध किया गया।

अब यूनिट ने अपना औद्योगिक लाइसेंस जारी करने करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय ज्ञापन दिनांक 4 अक्टूबर 2013 के माध्यम से हितधारक मंत्रालयों / विभागों (रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय सहित) की टिप्पणियां मंगाई गई हैं।

विकास आयुक्त, सीएसईजेड ने यह भी सूचित किया है कि यूनिट का औद्योगिक लाइसेंस 28 जुलाई 2013 को समाप्त हो गया है। तथापि यूनिट ने 2 दिसंबर 2013 को वाणिज्यिक उत्पादन की घोषणा की है।

चूंकि उपर्युक्त यूनिट का नया आवेदन उसके औद्योगिक लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए उसके मूल अनुरोध के क्रम में है इसलिए रक्षा उत्पादन विभाग तथा गृह मंत्रालय की राय प्राप्त करने तथा विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव को रखने का निर्णय लिया गया। रक्षा उत्पादन विभाग ने लाइसेंस प्रदान करने की मानक शर्तों एवं नियमों तथा रक्षा क्षेत्र पर लागू वर्तमान एफडीआई नीति के दिशानिर्देशों और गृह मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन उनके द्वारा संचालित किए जाने के लिए आशयित गतिविधियों के लिए अपनी विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के लिए कंपनी के प्रस्ताव पर अपनी अनापत्ति प्रदान की है।

तद्नुसार प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxi) एलईडी एवं एलसीडी पैनल, स्मार्ट फोन, कंप्यूटर एवं संबद्ध उत्पादों, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, बीपीओ - विधिक, चिकित्सा एवं समान सेवाओं, गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे कि सोलर पैनल एवं अन्य उत्पादों, सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटरीकृत चिकित्सा उपकरण के औजार, कंप्यूटरीकृत स्मार्ट कैमरा एवं वीडियो, आफशोर बैंकिंग को शामिल करने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

57.0979 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 23 **अप्रैल**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। एक यूनिट ने** 22 **अप्रैल** 2013 **से अपना प्रचालन शुरू कर दिया है।**

विकासक ने एलईडी एवं एलसीडी पैनल, स्मार्ट फोन, कंप्यूटर एवं संबद्ध उत्पादों, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, बीपीओ - विधिक, चिकित्सा एवं समान सेवाओं, गैर परंपरागत ऊर्जा जैसे कि सोलर पैनल एवं अन्य उत्पादों, सर्विलांस सिक्योरिटी सिस्टम, कंप्यूटरीकृत चिकित्सा उपकरण के औजार, कंप्यूटरीकृत स्मार्ट कैमरा एवं वीडियो, आफशोर बैंकिंग को शामिल करने के लिए ब्राड बैंडिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(xxii) मौजूदा 59.0979 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में से 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए मैसर्स सनस्ट्रीम सिटी प्राइवेट लिमिटेड जो मुंबई, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

57.0979 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड** 23 **अप्रैल**, 2008 **को अधिसूचित किया गया था। एक यूनिट ने** 22 **अप्रैल** 2013 **से अपना प्रचालन शुरू कर दिया है।**

विकासक ने आईटी / आईटीईएस एसईजेड के रूप में अधिसूचित 57.0979 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल में से** 10 **हेक्टेयर के क्षेत्रफल को कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक ने प्रस्ताव किया है कि मौजूदा एसईजेड में से** 25 **एकड़ की भूमि को अलग करके इस एसईजेड का निर्माण किया जाएगा जिसमें** (क) 90 **प्रतिशत प्रसंस्करण क्षेत्र होगा और** (ख) 10 **प्रतिशत गैर प्रसंस्करण क्षेत्र होगा जिसमें वाणिज्यिक तथा अन्य सहायक सेवाएं शामिल होंगी।**

विकासक ने परियोजना में 3500 **करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव किया है तथा बताया है कि** 5-7 **वर्ष के अंदर इसका विकास किया जाएगा।**

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxiii) शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान करने के लिए मैसर्स नगारो साफ्टवेयर (जयपुर) **प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी** (जयपुर) **लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, से अनुरोध**

मैसर्स नगारो साफ्टवेयर (जयपुर) **प्राइवेट लिमिटेड जो जयपुर में मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी** (जयपुर) **लिमिटेड के आईटी / आईटीईएस एसईजेड की यूनिट है, ने शेयर होल्डिंग के पैटर्न में निम्नानुसार परिवर्तन के लिए अनुरोध किया है** :

पिछला शेयर होल्डिंग पैटर्न		वर्तमान शेयर होल्डिंग पैटर्न	
शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	शेयर धारक का नाम	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
नगारो यूएसए	98.00	अल्जीयर ग्लोबर सर्विसेज एशिया प्राइवेट लिमिटेड	99.99
विक्रम सहगल	01.00	श्री विक्रम सहगल	0.01
श्रीमती सावित्री फुलोरिया	00.50		
श्रीमती प्रियदर्शनी जादव	00.50		

यूनिट ने शेयर क्रय करार प्रस्तुत किया है जो वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 23 दिनांक 16 जुलाई 2009 के अनुसार शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए निष्पादित किया गया, जिसमें यह उल्लेख है कि यदि प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को घटाकर 51 प्रतिशत से कम करने का निर्णय लेता है तो अनुमोदन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्ताव को अग्रेषित किया है (अनुबंध -25)।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxiv) कंपनी के शेयर होल्डिंग के पैटर्न में परिवर्तन के लिए मैसर्स इयॉन खराडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड जो पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विशिष्ट एसईजेड का विकासक है, का अनुरोध

अब उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। एसईजेड मार्च 2007 से क्रियाशील है।

यह एसईजेड अभी भी निर्माणाधीन है इसलिए परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। विकासक मैसर्स एसजी इंडियन होल्डिंग (एनक्यू) कंपनी 7 प्राइवेट लिमिटेड तथा एसजी इंडियन होल्डिंग (एनक्यू) कंपनी 9 प्राइवेट लिमिटेड जो ब्लैक स्टोन ग्रुप एलपी (ब्लैक स्टोन ग्रुप की संबद्ध संस्थाएं हैं, को नए इक्विटी शेयरों के निर्गम के रूप में प्रेमसागर इनफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (पीआईआरपीएल) के माध्यम से ईकेआईपीएल में धारित अपनी इक्विटी शेयर होल्डिंग को कम करना चाहता है।

प्रस्तावित लेनदेन के बाद ईकेआईपीएल की शेयर होल्डिंग का वर्तमान पैटर्न निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है :

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	मौजूदा शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	प्रस्तावित लेनदेन के बाद शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
1.	प्रेमसागर इनफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	51 प्रतिशत	50 प्रतिशत
2.	एसजी इंडिया होल्डिंग (एनक्यू) कंपनी 7 प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	48.75 प्रतिशत	49.74 प्रतिशत
3.	एसजी इंडिया होल्डिंग (एनक्यू) कंपनी 9 प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर	0.25 प्रतिशत	0.26 प्रतिशत
	कुल	100 प्रतिशत	100 प्रतिशत

प्रस्ताव के अनुसार शेयरों के निर्गम के बाद ईकेआईपीएल के निदेशक मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए विकासक का अनुरोध प्रस्तुत किया है (अनुबंध 26)।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxv) विनिर्माण एवं निर्यात के लिए उत्पादों की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बायोकॉन लिमिटेड जो बंगलौर में मैसर्स बायोकॉन एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध - जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के रूप में पुष्टि के लिए यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन

यूनिट को स्टेन (लोवा स्टाटिन, सिमवा स्टाटिन, प्रावा स्टाटिन, कंपैक्टिन), इंसुलिन, एंजाइम, माइकोफेनोलेट, एप्टीफिबेटाइड, एरिथ्रोपोटीन, एसेटोनिटाइल, एवरोलिमस, 11 ए-हाइड्रोक्सी कैनरेनोन, टेमिसिरोलिमस, एपलेरिनोन, सुमात्रिप्टन सुसिनेट, ग्लैट्रिरैमर एक्सेटेट, बिवालिरुडिन (ट्राफ्लुरोएक्सेटेट) रेकोमबिनेंट प्रोटीन (मोनोक्लोनाल एंटीबाडीज), फ्यूज़न प्रोटीन एंड पेप्टाइड, प्लेसीबोस तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाओं सहित विभिन्न जैव प्राद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए 30 अगस्त 2006 को एलओपी जारी किया गया था।

विकास आयुक्त ने सूचित किया है (अनुबंध 27) कि यूनिट ब्राड बैंडिंग की प्रक्रिया के तहत जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के रूप में अनेक उत्पादों को शामिल करने के लिए यूनिट अनुमोदन समिति से बार बार संपर्क कर रही है। यूनिट अनुमोदन समिति ने स्वयं यूनिट द्वारा प्रस्तुत किए गए कर्नाटक सरकार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, तकनीकी विवरण तथा ड्रग लाइसेंस के आधार पर ब्राड बैंडिंग के तहत अब तक 53 उत्पादों को मंजूरी प्रदान की है। विकास आयुक्त ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग से इस संबंध में पुष्टि प्राप्त करने पर सलाह प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया है कि क्या अब तक अनुमोदित सभी उत्पादों को जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में माना जा सकता है। तद्नुसार जैव प्रौद्योगिकी विभाग से पत्र दिनांक 20 फरवरी 2014 के माध्यम से पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया था कि क्या इन उत्पादों को जैव प्रौद्योगिकी के समान या संबद्ध उत्पाद के रूप में माना जा सकता है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(xxvi) पाटनचेरू गांव, संगारेड्डी तालुक, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

एलओए दिनांक 3 सितंबर, 2008 के माध्यम से पाटनचेरू गांव, संगारेड्डी तालुक, जिला मेडक, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गोदरेज रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं हुआ है। 2 सितंबर, 2011 को एलओए की वैधता समाप्त हो गई है। अब विकासक ने आर्थिक मंदी तथा बाजार में मांग बिल्कुल न होने के कारण औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव के लिए एनओसी प्रदान किया है।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है।

औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

(xxvii) ट्रिल इनफो पार्क एसईजेड जो तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड है, में अपना कार्यालय स्थापित करने के लिए नेस्काम के चेन्नई कार्यालय का प्रस्ताव

10.24.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 जनवरी, 2009 को मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का एसईजेड अधिसूचित किया गया था।

नेस्काम ने सूचित किया है (अनुबंध 28) कि विकास आयुक्त के पास भेजे गए आवेदन के जवाब में एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेस्काम ने यह भी सूचित किया है कि गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थान उपलब्ध कराने के लिए विकासक की कोई योजना नहीं है। तदनुसार नेस्काम ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

नेस्काम ने बताया है कि नेस्काम के साथ जुड़े होने से उत्पन्न लाभों के चलते यूनिटों की मांग को देखते हुए उनके कार्यालय को अवसंरचना सुविधाओं के रूप में लिया जा सकता है। नेस्काम कोई ड्यूटी लाभ तथा आयकर लाभ प्राप्त नहीं करेगा जिसके लिए वे वचन पत्र जमा करने के इच्छुक हैं।

एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्यालय स्थापित करने के लिए नेस्काम का प्रस्ताव विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 61.12 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 21 अगस्त 2013 के विरुद्ध मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स एमएएस जीएमआर एयरो टेक्नीक प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स जीएमआर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड की यूनिट है, ने आन जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवेदन किया था जो 21 अगस्त 2013 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि परियोजना में स्वतंत्र प्रशिक्षण केन्द्र की परिकल्पना है जहां प्रशिक्षणार्थियों को खुला बाजार उपलब्ध कराया जाएगा तथा एसईजेड यूनिट में विलय के लिए कोई गारंटी नहीं दी जाएगी।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-29) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 16 दिसंबर 2013 के विरुद्ध मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता में मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित एसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स असेंचर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स यूनीटेक हाइटेक स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की यूनिट है, में सेवाओं अर्थात व्यवसाय सहायक सेवा, प्रबंध एवं व्यवसाय परामर्शदाता सेवा, व्यवसाय सहायता सेवा, एयर ट्रैवल एजेंट सेवा, हवाई मार्ग से परिवहन यात्री, आवास सेवा के लिए अनुमोदन प्रदान करने के लिए आवेदन किया था। 27 नवंबर 2013 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने व्यवसाय सहायक सेवा, प्रबंध एवं व्यवसाय परामर्शदाता सेवा के लिए मंजूरी प्रदान की है। यूनिट अन्य सेवाओं पर विचार न करने और इस प्रकार उनको नामंजूर / अस्वीकृत करने के बारे में यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-30) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) एलओए को पुन: वैध करने तथा अपनी यूनिट पुन: शुरू करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए मैसर्स टेक महिंद्रा लिमिटेड जो बंटाला, जिला दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में कोलकाता आईटी पार्क एसईजेड की यूनिट है, का प्रस्ताव

साफ्टवेयर विकास तथा बिजनेस प्रोसेसिंग के अधिकृत प्रचालनों के लिए यूनिट को 24 अगस्त 2007 को एलओपी जारी किया गया जिसकी वैधता अवधि 23 अगस्त 2008 से 23 अगस्त 2010 तक दो साल के लिए बढ़ाई गई। जब यूनिट ने 23 अगस्त 2011 तक अपने एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए पुन: अनुरोध किया तो उसे सनदी इंजीनियर से इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी गई कि एसईजेड नियमावली के नियम 19 (4) के अनुसार यूनिट स्थापित करने से संबंधित दो तिहाई गतिविधियां पूरी हो गई हैं। 25 अगस्त 2010 से यूनिट ने न तो कोई सनदी इंजीनियर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और न ही एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए विकास आयुक्त, एफएसईजेड के साथ कोई और संचार किया है।

22 अगस्त 2013 को आयोजित एफएसईजेड की यूनिट अनुमोदन समिति की 54वीं बैठक में संपूर्ण मामला रखा गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि समाप्ति की तिथि अर्थात 23 अगस्त 2010 से एलओए को समाप्त एवं निरस्त समझा जाए तथा इसके बारे में 13 सितंबर 2013 को यूनिट को सूचित किया गया। अब यूनिट ने अपने एलओए को पुन: वैध करने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एफएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय के लिए मामला प्रस्तुत किया है क्योंकि एसईजेड नियमावली के तहत उनके अनुरोध से सहमत होने के लिए विकास आयुक्त या यूनिट अनुमोदन समिति के पास कोई अधिकार नहीं है तथा अपील दाखिल करने की अवधि भी काफी पहले समाप्त हो गई है।

यूनिट ने अपने एलओए को पुन: वैध करने के लिए अनुरोध किया है जिसे यूनिट अनुमोदन समिति में निरस्त किया जा चुका है (अनुबंध 31)।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) विकास आयुक्त, केएएसईजेड के आदेश के विरुद्ध मैसर्स बायोमेडिकल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड जो अहमदाबाद, गुजरात में मैसर्स जायडस इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित फर्मास्युटिकल एसईजेड की यूनिट है, की अपील

निर्धारित प्रपत्र में यूनिट की अपील 04 फरवरी, 2014 को प्राप्त हुई है।

विकास आयुक्त के आदेश के विरुद्ध यूनिट की अपील पर 8 नवंबर 2014 को आयोजित अपनी 60वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मामले को वापस विकास आयुक्त, केएएसईजेड के पास भेजा जाए तथा यह निदेश दिया गया कि यूनिट एवं विकासक को सुनवाई का अवसर दिया जाए तथा 30 दिन के अंदर सकारण आदेश पारित किया जाए।

इसके बाद विकास आयुक्त ने आदेश दिनांक 10/13 जनवरी 2014 पारित किया था। अब यूनिट ने विकास आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है (अनुबंध 32)।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(v) यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश दिनांक 28 जनवरी 2014 के विरुद्ध मैसर्स गारमेक्स इंडिया जो एनएसईजेड की यूनिट है, की अपील

मैसर्स गारमेक्स इंडिया जो एनएसईजेड की यूनिट है, ने यूनिट अनुमोदन समिति के आदेश के विरुद्ध अपील की है। यूनिट ने प्लाट नंबर 142 पर खड़े किए गए भवन को मैसर्स आईगेट ग्लोबल सोल्यूशंस लिमिटेड के पक्ष में ट्रांसफर करने के लिए आवेदन किया था तथा उसे यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि यूनिट अर्थात मैसर्स गारमेक्स इंडिया के पास इस समय मान्य एलओए नहीं है और इसलिए यह नियम 74 ए की शर्तों को पूरा नहीं करती है।

अपीलकर्ता ने उपर्युक्त अस्वीकृति के खिलाफ वर्तमान अपील (अनुबंध-33) दाखिल की है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

******